



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-21102021-230572
CG-GJ-E-21102021-230572

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482]
No. 482]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 20, 2021/आश्विन 28, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2021/ASVINA 28, 1943

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 18 अक्टूबर, 2021

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (पूँजी बाज़ार मध्यवर्ती) विनियम, 2021

फा. सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2021-22/जी.एन./रेग्यु.018.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28ग के साथ पठित धारा 30 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 23छ के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (पूँजी बाज़ार मध्यवर्ती) विनियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

- (1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें परिभाषित पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके नीचे दिए गए हैं और सजातीय अभिव्यक्तियों का अर्थान्वयन तदनुसार किया जाएगा –

- (क) "लेखा संकलनकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अपने ग्राहकों की वित्तीय आस्तियों से संबंधित जानकारी को पुनःप्राप्त करने या संगृहीत करने और ऐसी जानकारी को समेकित, संगठित करने और उसे ग्राहक या ग्राहक के अनुदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करने की सेवा प्रदान करने का कारबार करता है;
- (ख) "अधिनियम" से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) अभिप्रेत है;
- (ग) "सहयुक्त" का वही अर्थ है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बाज़ार अवसंरचना संस्था) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (क) के अधीन उसका है;
- (घ) "प्राधिकरण" या "आई.एफ.एस.सी.ए." से अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ङ) "किसी निर्गम का बैंकर" से किसी निर्गम में बैंकिंग से संबंधित क्रियाकलाप करने वाला कोई बैंक अभिप्रेत है;
- (च) "बैंककारी यूनिट" का वही अर्थ है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) के अधीन उसका है;
- (छ) "ब्रोकर डीलर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हैं और इसके अंतर्गत कोई व्यापारिक सदस्य भी है;
- (ज) "समाशोधन सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम में समाशोधन और परिनिर्धारण अधिकार प्राप्त हैं;
- (झ) "नियंत्रण" के अंतर्गत अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति करने या व्यष्टिक रूप से अथवा मिलकर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, जिसके अंतर्गत उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारक करार या मतदान करार भी है, या किसी अन्य रीति में, जिसके अंतर्गत चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पचास प्रतिशत से अधिक सीमा तक मतदान अधिकार या हित धारण करते हुए प्रयोक्तव्य प्रबंधन या नीति विषयक विनिश्चयों को नियंत्रित करने का अधिकार भी है;

परन्तु किसी कंपनी के किसी निदेशक या अधिकारी के बारे में मात्र ऐसी प्रास्थिति धारण करने के आधार पर यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसी कंपनी पर नियंत्रण रखता है;

- (ञ) "क्रेडिट रेटिंग एजेंसी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्रतिभूतियों या वित्तीय उत्पादों या ऐसे अन्य उत्पादों की, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पुरःस्थापित किए जाएं, रेटिंग के कार्य में लगा हुआ है;
- (ट) वित्तीय उत्पादों के संबंध में "अभिरक्षणीय सेवाओं" से ऐसे वित्तीय उत्पादों को सुरक्षित रखना और उससे आनुषंगिक सेवाएं प्रदान करना अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित है:

क. ऐसे वित्तीय उत्पादों का लेखा रखना;

ख. ऐसे वित्तीय उत्पादों की बाबत ग्राहक को प्रोद्भूत होने वाले फायदों या अधिकारों का संग्रहण करना;

ग. ग्राहक को, निर्गमकर्ता द्वारा की गई या की जाने वाली उन कार्यवाहियों के बारे में, जिनका प्रभाव ग्राहक को उद्भूत होने वाले फायदों या अधिकारों पर पड़ता है, सूचना देते रहना;

घ. सेवाओं का अभिलेख रखना और उनका मिलान करना; और

ङ. किसी आई.एफ.एस.सी. में निक्षेपागार रसीदें जारी किए जाने से संबंधित क्रियाकलाप करना;

- (ठ) "अभिरक्षक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अभिरक्षणीय सेवाएं प्रदान करने का कारबार चलाता है या कारबार चलाने की प्रस्थापना करता है;

- (ड) "डिबेंचर न्यासी" से डिबेंचरों के किसी निर्गम की बाबत नियुक्त किया गया कोई न्यासी अभिप्रेत है;

- (ढ) “निक्षेपागार सहभागी” से किसी मान्यताप्राप्त निक्षेपागार का कोई सहभागी अभिप्रेत है;
- (ण) “वैकेिक पोर्टफोलियो प्रबंधक” से ऐसा पोर्टफोलियो प्रबंधक अभिप्रेत है, जो पोर्टफोलियो प्रबंधन की किसी संविदा के अधीन ग्राहक की, यथास्थिति, निधियों के निवेश या प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियों के प्रबंधन के बारे में किसी प्रकार के विवेक का प्रयोग करता है या प्रयोग कर सकता है;
- (त) “विदेशी अधिकार-क्षेत्र” से भारत से भिन्न ऐसा देश अभिप्रेत है, जिसका प्रतिभूति बाज़ार विनियामक अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन का एक हस्ताक्षरकर्ता है (परिशिष्ट क हस्ताक्षरकर्ता) या प्राधिकरण के साथ हुए द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है और जो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के सार्वजनिक कथन में:
- ऐसे अधिकार-क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात नहीं है, जिसमें धनशोधन-रोधी या आतंकवाद का वित्तपोषण करने से रोकने संबंधी ऐसी कमियां हैं जिन्हें जवाबी-अध्युपाय लागू होते हैं; या
 - ऐसे अधिकार-क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात नहीं है, जिसने उन कमियों को दूर करने में पर्याप्त प्रगति नहीं की है या उन कमियों को दूर करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यदल के साथ विकसित की गई किसी कार्रवाई योजना के प्रति वचनबद्धता नहीं दिखाई है;
- (थ) “निरीक्षक प्राधिकारी” से, प्राधिकरण द्वारा किसी पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती की लेखा-बहियों, लेखाओं, अभिलेखों और दस्तावेजों का इन विनियमों के निबंधनानुसार निरीक्षण करने के लिए नियुक्त एक या उससे अधिक व्यक्ति अभिप्रेत हैं;
- (द) “अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र” या “आई.एफ.एस.सी.” का वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन उसका है;
- (ध) “निवेश सलाह” से प्रतिभूतियों या निवेश उत्पादों में निवेश करने, उनका क्रय, विक्रय करने या अन्यथा उनमें व्यवहार करने की सलाह देना तथा ऐसे निवेश पोर्टफोलियों के संबंध में, जिसमें प्रतिभूतियां या निवेश उत्पाद हैं, ग्राहक के फायदे के लिए लिखित, मौखिक या संचार के किसी अन्य माध्यम से सलाह देना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वित्तीय योजना तैयार करना भी है;
- परन्तु समाचारपत्र, मैगज़ीन, किसी इलेक्ट्रानिक या प्रसारण या दूरसंचार माध्यम द्वारा दी गई निवेश सलाह, जो जनता को व्यापक रूप से उपलब्ध होती है, इन विनियमों के प्रयोजनार्थ निवेश सलाह के रूप में नहीं समझी जाएगी;
- (न) “निवेश सलाहकार” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो ग्राहकों या अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को, प्रतिफलस्वरूप निवेश सलाह प्रदान करने के कारबार में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जो स्वयं एक निवेश सलाहकार के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, काम करता है;
- (त) “निवेश बैंकर” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो निर्गम प्रबंधन के कारबार में, या तो प्रतिभूतियों के क्रय, विक्रय या प्रतिश्रुत करने के संबंध में व्यवस्थाएं करने या प्रबंधक, परामर्शी, सलाहकार के रूप में कार्य करने या ऐसे निर्गम प्रबंधन के संबंध में कारपोरेट सलाहकारी सेवा प्रदान करने के काम में लगा हुआ है;
- (प) “निर्गम” से किसी आई.एफ.एस.सी. में प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय की कोई प्रस्थापना अभिप्रेत है;
- (फ) “प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक” से मध्यवर्ती के ऐसे अधिकारी या कार्मिक अभिप्रेत हैं जो उसके कोर प्रबंधन दल के सदस्य हैं और इसके अंतर्गत मध्यवर्ती के कार्यपालक निदेशकों से एक स्तर नीचे वाले प्रबंधतंत्र के सदस्य, कार्यात्मक प्रमुख और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा-परिभाषित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति भी है, जिसे मध्यवर्ती प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में घोषित कर सकेगा;
- (ब) “शुद्ध संपत्ति” से, तुलनपत्र के अनुसार संचित हानियों, आस्थगित व्यय और अपलिखित न किए गए प्रकीर्ण व्यय के संकलित मूल्य को घटाने के पश्चात् समादत्त शेयर पूंजी(या पूंजीगत अभिदाय) और लाभों, प्रतिभूति प्रीमियम लेखों और लाभ हानि खाते के विकलन और जमा अतिशेष में से सृजित सभी आरक्षितियों का संकलित मूल्य अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन, अवक्षयण के प्रतिलेखन और समामेलन से सृजित आरक्षितियां नहीं हैं;
- (भ) “निवेश सलाह से सहबद्ध व्यक्ति” से ऐसे निवेश सलाहकार का कोई सदस्य, भागीदार, अभिहित भागीदार, अधिकारी, निदेशक या कर्मचारी या कोई विक्रय स्टॉफ अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो ऐसे निवेश सलाहकार से

सहबद्धता की प्रकृति को ध्यान में रखे बिना जो निवेश सलाहकार के ग्राहकों को निवेश सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए लगा हुआ है, समरूप प्रास्थिति धारण किए हुए है या समरूप कृत्य का पालन कर रहा है;

स्पष्टीकरण: ऐसे व्यक्ति, जैसे सेवा संबंध प्रबंधक, ग्राहक संबंध प्रबंधक आदि, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के बारे में यह समझा जाएगा कि वे निवेश सलाह के सहबद्ध व्यक्ति हैं किन्तु इसमें ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो लिपिकीय या कार्यालय के प्रशासनिक कृत्यों का निर्वहन करते हैं, जहां कोई ग्राहक इंटरफेस नहीं है;

(म) "पोर्टफोलियो प्रबंधक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ग्राहक को एक संविदा के अनुसरण में, ग्राहक की ओर से (चाहे वैकृतिक पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में या अन्यथा) ग्राहक की यथास्थिति, प्रतिभूतियों या वित्तीय उत्पादों या निधियों के पोर्टफोलियो के प्रबंधन या प्रशासन में सलाह या निदेश देता है या प्रबंधन या प्रशासन कार्य करता है;

(कक) "प्रधान अधिकारी" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो आई.एफ.एस.सी. में मध्यवर्ती के समग्र क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं:

- (i) किसी स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, स्वत्वधारी;
- (ii) किसी भागीदारी फर्म की दशा में, कोई भागीदार;
- (iii) किसी सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, कोई अभिहित भागीदार;
- (iv) किसी निगमित निकाय की दशा में, पूर्णकालिक/कार्यपालक/प्रबंध निदेशक;
- (v) किसी न्यास की दशा में, न्यासी; और
- (vi) प्रधान अधिकारी के रूप में अभिहित कोई अन्य व्यक्ति;

(खख) "मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम" से आई.एफ.एस.सी. में ऐसा समाशोधन निगम अभिप्रेत है, जिसे प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त है;

(गग) "मान्यताप्राप्त निक्षेपागार" से आई.एफ.एस.सी. में ऐसा निक्षेपागार अभिप्रेत है, जो प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त है;

(घघ) "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से किसी आई.एफ.एस.सी. में कोई ऐसा स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है, जो प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त है;

(ङङ) "विनियम" से समय-समय पर यथा-संशोधित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (पूँजी बाज़ार मध्यवर्ती) विनियम, 2021 अभिप्रेत है;

(चच) "सेबी" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अभिप्रेत है;

(छछ) "पृथक्कृत नामनिर्देशिती लेखा प्रदाता" से ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जो पृथक्कृत नामनिर्देशिती लेखा ढांचे की सेवाओं की प्रस्थापना करने के लिए किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या किसी मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम के पास पृथक्कृत नामनिर्देशित सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(जज) "पृथक्कृत नामनिर्देशिती लेखा ढांचा" से ऐसा कोई ढांचा अभिप्रेत है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतिम-ग्राहक की पहचान, अभिन्न ग्राहक कोड, ग्राहक के स्तर पर आदेश स्थापन, ग्राहक स्तर पर मार्जिनिंग और स्थिति सीमाओं से संबंधित विनियमनकारी अपेक्षाओं का पालन करते समय किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार के लिए ग्राहकों के आदेशों को किसी पात्र पृथक्कृत नामनिर्देशिती लेखा प्रदाता के माध्यम से भेजा जा सकता है;

(झझ) "स्व-समाशोधन सदस्य" से किसी मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है, जो एक ब्रोकर डीलर भी है और केवल स्वयं अपनी ओर से या अपने ग्राहकों की ओर से सौदों का समाशोधन और परिनिर्धारण करता है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों या कंपनी अधिनियम, 2013 में या उनके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों

में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या उनके, यथास्थिति, किसी कानूनी उपांतरण या उसकी पुनर्अधिनियमिति में क्रमशः उनके हैं।

अध्याय 2

रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने की बाध्यता

3. (1) निम्नलिखित प्रवर्ग के मध्यवर्ती किसी आई.एफ.एस.सी. में प्रचालन प्रारंभ करने के पूर्व प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेंगे:

(क) ब्रोकर डीलर;

स्पष्टीकरण: ब्रोकर डीलर, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करने के अनुसरण में, ऐसे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के पास पृथक्कृत नामनिर्देशिती लेखा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होंगे।

(ख) समाशोधन सदस्य:

स्पष्टीकरण: समाशोधन सदस्य, मान्यताप्राप्त समाशोधन निगमों और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करने के अनुसरण में, ऐसे मान्यताप्राप्त समाशोधन निगमों के पास पृथक्कृत नामनिर्देशिती लेखा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होंगे।

(ग) निक्षेपागार सहभागी;

(घ) निवेश बैंकर;

(ङ) पोर्टफोलियो प्रबंधक;

(च) निवेश सलाहकार:

परन्तु निम्नलिखित व्यक्ति के लिए आई.एफ.एस.सी. में निवेश सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करना अपेक्षित नहीं होगा:

(i) ऐसा व्यक्ति, जो वित्तीय या प्रतिभूति बाज़ार की प्रवृत्तियों या आर्थिक स्थिति के संबंध में सद्भावपूर्वक साधारण टिप्पणियां करता है जहां ऐसी टिप्पणियों में कोई विशेष प्रतिभूति या निवेश उत्पाद विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है;

(ii) प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त या रजिस्ट्रीकृत या प्राधिकृत कोई ऐसा बीमा अभिकर्ता या बीमा ब्रोकर, जो एकमात्र बीमा उत्पादों में निवेश सलाह की प्रस्थापना करता है;

(iii) प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त या रजिस्ट्रीकृत या प्राधिकृत कोई ऐसा पेंशन सलाहकार, जो एकमात्र पेंशन उत्पादों में निवेश सलाह की प्रस्थापना करता है;

(iv) पारस्परिक निधि(म्युचुअल फंड) का ऐसा वितरक, जो अपने ग्राहकों को अपने प्राथमिक क्रियाकलाप से आनुषंगिक कोई निवेश सलाह प्रदान करता है;

(v) ऐसा कोई अधिवक्ता, सालिसिटर या विधि फर्म, जो अपने ग्राहकों को अपने विधिक व्यवसाय से आनुषंगिक निवेश सलाह की प्रस्थापना करता है;

(vi) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, भारतीय लागत अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय बीमांकक संस्थान या किसी अन्य वृत्तिक निकाय का, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, कोई ऐसा सदस्य जो (या तो अपनी व्यष्टिक हैसियत में या किसी फर्म के एक कर्मचारी के रूप में) अपने ग्राहकों को अपनी वृत्तिक सेवा से आनुषंगिक कोई निवेश सलाह प्रदान करता है;

(vii) प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसा ब्रोकर डीलर, पोर्टफोलियो प्रबंधक या निवेश बैंकर, जो अपने ग्राहकों को अपने प्राथमिक क्रियाकलाप से आनुषंगिक निवेश सलाह की प्रस्थापना करता है;

(viii) ऐसा निधि प्रबंधक, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो किसी पारस्परिक निधि, आनुकल्पिक निवेश निधि या प्राधिकरण अथवा किसी अन्य प्रतिभूति बाज़ार विनियामक द्वारा रजिस्ट्रीकृत या विनियमित किसी अन्य निधि को सलाह प्रदान करता है;

(ix) ऐसा कोई व्यक्ति, जो निवेशकों को निवेश सलाह प्रदान करता है, जैसे

क. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें;

ख. सरकार(सरकारों) के तत्वाधान में स्थापित विकासात्मक एजेंसियां;

ग. बहुपक्षीय एजेंसियां;

घ. सावरेन धन संपदा निधियां;

ङ. प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती;

च. बैंक;

छ. बीमा कंपनियां;

ज. पेंशन निधियां;

झ. भविष्य निधियां;

ञ. लोक वित्तीय संस्थाएं; और

ट. किसी अन्य प्रवर्ग के निवेशक, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(x) ऐसा कोई व्यक्ति, जो अनन्य रूप से अपने सहयुक्तों या समूह इकाइयों को निवेश सलाह प्रदान करता है;

(xi) किसी ऐसे निवेश सलाहकार की, जो इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त है, सलाह से सहवृद्ध कोई प्रधान अधिकारी और व्यक्ति;

(xii) कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे;

(छ) अभिरक्षक; और

(ज) किसी अन्य प्रवर्ग के मध्यवर्ती, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(2) निम्नलिखित प्रवर्ग के मध्यवर्ती, किसी आई.एफ.एस.सी. में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर सकेंगे:

(क) क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां;

(ख) डिबेंचर न्यासी;

(ग) लेखा संकलनकर्ता; और

(घ) किसी अन्य प्रवर्ग के मध्यवर्ती, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(3) किसी बैंककारी यूनिट को, किसी अतिरिक्त रजिस्ट्रीकरण संबंधी अपेक्षा के बिना, उन विनियमनकारी उपबंधों का अनुपालन करते हुए, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, किसी आई.एफ.एस.सी. में किसी निर्गम के बैंकर के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) प्राधिकरण, उप-विनियम (1) से उप-विनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, किसी आई.एफ.एस.सी. में प्रचालन या सेवाएं प्रदान करने के लिए पूंजी बाज़ार मध्यवर्तियों के प्राधिकार के लिए समय-समय पर मानदंड विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

4. (1) किसी आई.एफ.एस.सी. में पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने की इच्छुक कोई इकाई प्राधिकरण को अनुसूची। के भाग। में उपबंधित प्ररूप में, प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट आवेदन फीस सहित आवेदन प्रस्तुत करेगी:

परन्तु ऐसा आवेदक, जो ब्रोकर डीलर या समाशोधन सदस्य या निक्षेपागार सहभागी के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करता है, ऐसी अतिरिक्त जानकारी सहित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम या मान्यताप्राप्त निक्षेपागार के माध्यम से आवेदन करेगा।

स्पष्टीकरण: कोई आवेदक एक ही आवेदन-पत्र में बहुविध रजिस्ट्रीकरणों के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) यथास्थिति, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम, मान्यताप्राप्त निक्षेपागार, आवेदक की पात्रता की परीक्षा इन विनियमों, सुसंगत अधिनियमों, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगम, निक्षेपागार के विनियमों और नियमों, उप-विधियों के निबंधनानुसार करेगा और आवेदन फीस सहित आवेदन को अपनी सिफारिश सहित यथासंभव शीघ्र किन्तु विनिर्दिष्ट आवेदन फीस सहित संपूरित आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन अपश्चात् प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा।

(3) संबंधित स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनुमोदन के अधीन रहते हुए और पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की किसी अपेक्षा के बिना,-

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत समाशोधन सदस्य को किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर डीलर के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा; और

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत ब्रोकर डीलर को एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में प्रचालन करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(4) संबंधित मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम द्वारा अनुमोदन के अधीन रहते हुए और पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की किसी अपेक्षा के बिना,-

(क) किसी रजिस्ट्रीकृत ब्रोकर डीलर को किसी मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम में समाशोधन सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा; और

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत समाशोधन सदस्य को एक से अधिक मान्यताप्राप्त समाशोधन निगमों में प्रचालन करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(5) संबंधित मान्यताप्राप्त निक्षेपागार द्वारा अनुमोदन के अधीन रहते हुए, किसी रजिस्ट्रीकृत निक्षेपागार सहभागी को, पृथक् रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना एक अन्य मान्यताप्राप्त निक्षेपागार के सहभागी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(6) रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए यथा-लागू इन विनियमों के उपबंध, जहां कहीं भी लागू हो, किसी पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के किसी आवेदन को भी लागू होंगे।

आवेदक का विधिक रूप

5. (1) प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने वाले पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती से, किसी आई.एफ.एस.सी. में एक शाखा स्थापित करके या कोई कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय या भागीदारी फर्म या स्वत्वधारी फर्म या कोई ऐसी अन्य फर्म, जो प्राधिकरण अनुज्ञात करे, गठित करके उपस्थित रहने की अपेक्षा होगी:

परन्तु शाखा संबंधी ढांचा केवल ऐसे किसी मध्यवर्ती के लिए अनुज्ञात है, जो समरूप क्रियाकलापों के संचालन के लिए भारत में या किसी विदेशी अधिकार-क्षेत्र में पहले से रजिस्ट्रीकृत या विनियमित है:

परन्तु यह और कि प्राधिकरण के पास पहले से किसी अन्य हैसियत में अनुज्ञात, रजिस्ट्रीकृत या प्राधिकृत कोई आवेदक इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा भी कर सकता है।

(2) किसी आई.एफ.एस.सी. में शाखा ढांचे के रूप में प्रचालन करने वाला कोई पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती, निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा:

(क) इकाई, आई.एफ.एस.सी. में शाखा के प्रचालनों को पर्याप्त रूप से निर्बंधित करेगी;

(ख) इकाई, आई.एफ.एस.सी. में उसके क्रियाकलापों के लिए इन विनियमों में विनिर्दिष्ट शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाओं का पालन करेगी, जिन्हें मूल स्तर तक बनाए रखा जा सकेगा:

स्पष्टीकरण: आई.एफ.एस.सी. में उसके क्रियाकलापों के लिए न्यूनतम शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाएं, आई.एफ.एस.सी. के बाहर अन्य क्रियाकलापों के लिए लागू न्यूनतम शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाओं के अतिरिक्त पृथक् होंगी;

(ग) इकाई ऐसी न्यूनतम पूंजी बनाए रखेगी, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, जो कि आई.एफ.एस.सी. के लिए नियत की जाएगी और उसे उसके निगमन के अधिकार-क्षेत्र में धारण किया जा सकेगा;

(घ) आई.एफ.एस.सी. में शाखा के रूप में प्रचालन करने वाला कोई अभिरक्षक, आई.एफ.एस.सी.ए. द्वारा विनिर्दिष्ट रकम को आई.एफ.एस.सी. में उसकी शाखा मध्ये आबंटित करके वित्तीय पृथक्करण सुनिश्चित करेगा और प्राधिकरण को इस संबंध में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा;

(ङ) विदेशी इकाइयों का कोई ब्रोकर डीलर/समाशोधन सदस्य, आई.एफ.एस.सी.ए. द्वारा विनिर्दिष्ट आधारीक न्यूनतम पूंजी सहित अतिरिक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा; और

(च) कोई ऐसी अन्य अपेक्षाएं, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाएं

6. पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती के रूप में रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करने वाली कोई इकाई इन विनियमों की अनुसूची II में यथा-विनिर्दिष्ट शुद्ध संपत्ति संबंधी या ऐसी अन्य रकम संबंधी, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी और उसे हर समय बनाए रखा जाएगा:

परन्तु बहुल प्रवर्गों में पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती के रूप में प्रचालन करने वाली कोई इकाई, जब तक प्राधिकरण द्वारा उच्चतर रकम विनिर्दिष्ट नहीं की जाती, तब तक लागू न्यूनतम शुद्ध संपत्ति की अपेक्षाओं की उच्चतम अपेक्षाएं बनाए रखेगी।

उपयुक्त और उचित अपेक्षाएं

7. (1) पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करेगा कि इकाई और उसके प्रधान अधिकारी/निदेशक/भागीदार/अभिहित भागीदार, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और नियंत्रक शेयरधारक हमेशा उपयुक्त और उचित व्यक्ति हैं।

(2) उप-विनियम (1) के प्रयोजन के लिए, कोई व्यक्ति तब उपयुक्त और उचित व्यक्ति समझा जाएगा, यदि:

(क) ऐसे व्यक्ति की निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा उल्लेखनीय है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है किन्तु यहां तक सीमित नहीं है-

- (i) वित्तीय सत्यनिष्ठा;
- (ii) अच्छी ख्याति और चरित्र; और
- (iii) ईमानदारी;

(ख) ऐसे व्यक्ति ने निम्नलिखित में से कोई भी निरर्हता उपगत नहीं की है-

- (i) उस व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है या किसी आर्थिक अपराध या प्रतिभूति संबंधी विधियों के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है;
- (ii) उस व्यक्ति के विरुद्ध किसी वित्तीय विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई वसूली कार्यवाही संस्थित की गई है और वह लंबित है;
- (iii) उस व्यक्ति के विरुद्ध अपकरण के लिए समापन संबंधी कोई आदेश पारित किया गया है;
- (iv) उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया गया है और उसे उन्मोचित नहीं किया गया है;
- (v) किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा उस व्यक्ति को वित्तीय उत्पादों या वित्तीय सेवाओं में व्यवहार करने या निर्धारण करने से अवरुद्ध, प्रतिषिद्ध या वर्जित करने वाला कोई आदेश पारित किया गया है और उस आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है;
- (vi) प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कोई अन्य आदेश पारित किया गया है जिसका संबंध प्रतिभूति बाज़ार से है और उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है;
- (vii) उस व्यक्ति को सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा विकृत चित्त वाला पाया गया है और वह निष्कर्ष प्रवृत्त है;
- (viii) वह व्यक्ति वित्तीय दृष्टि से ठोस नहीं है और उसे जानबूझकर व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(ix) उस व्यक्ति को फरार आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है; या

(x) ऐसी कोई अन्य निरर्हता, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाएं

8. प्राधिकरण उन सभी बातों को और विशेष रूप से निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, जो वह किसी पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए सुसंगत समझता है, अर्थात्, क्या:

क) आवेदक या प्रधान अधिकारी के पास पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती के रूप में उन क्रियाकलापों में, जिसके लिए वह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने का इच्छुक है या संबंधित क्रियाकलापों में पर्याप्त पूर्व अनुभव है;

ख) आवेदक के पास अपने क्रियाकलापों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने के लिए आवश्यक अवसंरचना, जैसे पर्याप्त कार्यालय स्थान, उपस्कर, संचार सुविधाएं और जनशक्ति है;

ग) आवेदक इन विनियमों में यथा-विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंड, शुद्ध संपत्ति और निधि आबंटन अपेक्षाएं, यदि लागू हों, पूरी करता है;

घ) आवेदक की साख संतोषप्रद है;

ङ) आवेदक और उसके प्रधान अधिकारी/निदेशक/भागीदार/अभिहित भागीदार, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और नियंत्रक शेयरधारक उपयुक्त और उचित व्यक्ति हैं;

च) आवेदक या उसके किसी सहयुक्त को इससे पहले प्राधिकरण द्वारा प्रमाणपत्र देने से इनकार किया गया है और यदि ऐसा है तो ऐसी इनकारी के लिए आधार; और

छ) आवेदक और उसका प्रधान अधिकारी, प्राधिकरण द्वारा विधि के भंग के लिए किसी कार्यवाही के अध्यक्षीन है।

(2) उप-विनियम (1) के अतिरिक्त, पोर्टफोलियो प्रबंधक या निवेश सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन की बाबत, आवेदक के प्रधान अधिकारी के पास निम्नलिखित होगा:

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी मान्यताप्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय या संस्था या संगम या सी.एफ.ए. संस्थान से किसी सी.एफ.ए. चार्टर द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या किसी संस्था से वित्त, विधि, लेखाकरण, कारबार प्रबंधन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, पूंजी बाज़ार, बैंकिंग, बीमा या बीमांकन विज्ञान में कोई वृत्तिक अर्हता या स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लेमा (जिसकी अवधि कम से कम दो वर्ष हो); या किसी संगठन या संस्था या संगम या स्टॉक एक्सचेंज से ऐसा प्रमाणन, जो आई.एफ.एस.सी.ए. या भारत में या विदेशी अधिकार-क्षेत्र में किसी विनियामक द्वारा मान्यताप्राप्त/प्रत्यायित है; और

(ख) प्रतिभूति बाज़ार या वित्तीय उत्पादों में संबंधित क्रियाकलापों में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव, जिसके अंतर्गत पोर्टफोलियो प्रबंधक, ब्रोकर डीलर, निवेश सलाहकार, अनुसंधान विश्लेषक या निधि प्रबंधन का अनुभव भी है।

(3) उप-विनियम (1) और (2) के अतिरिक्त, पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन की बाबत आवेदक के नियोजन में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं :

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या किसी संस्था से कोई स्नातक या उप-विनियम (2) के खंड (क) में यथा-उल्लिखित अर्हता/प्रमाणन; और

(ख) प्रतिभूति बाज़ार या वित्तीय उत्पादों में संबंधित क्रियाकलापों में कम से कम दो वर्ष का अनुभव:

परन्तु पोर्टफोलियो प्रबंधक के ऐसे कर्मचारी के पास, जिसे निधि प्रबंधन से संबंधित विनिश्चय करने का प्राधिकार प्राप्त है, वही अर्हताएं/प्रमाणन और अनुभव होगा, जैसा प्रधान अधिकारी के लिए विनिर्दिष्ट है।

(4) उप-विनियम (1) और (2) के अतिरिक्त, निवेश सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन की बाबत, आवेदक की निवेश सलाह से सहबद्ध सभी व्यक्तियों के पास निम्नलिखित होगा:

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या किसी संस्था या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से कोई स्नातक या उप-विनियम (2) के खंड (क) में यथा-उल्लिखित अर्हता/प्रमाणन; और

(ख) प्रतिभूति बाज़ार या वित्तीय उत्पादों में संबंधित क्रियाकलापों में कम से कम दो वर्ष का अनुभव।

सरलीकृत आवेदन

9. (1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, भारत में या किसी विदेशी अधिकार-क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत और विनियमित कोई ऐसी इकाई, जिसके पास विधिमाम्य रजिस्ट्रीकरण है, या तो अपनी शाखा या सहायक कंपनी के माध्यम से 31 मार्च, 2022 तक अनुसूची I के भाग II में विनिर्दिष्ट सरलीकृत आवेदन के साथ, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट आवेदन फीस सहित, उसी प्रवर्ग के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगी:

परन्तु ऐसी इकाई इन विनियमों में विनिर्दिष्ट उपयुक्त और उचित तथा शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इकाई से, पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती के रूप में प्रचालन जारी रखने के लिए रजिस्ट्रीकरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इस अध्याय के समस्त उपबंधों का अनुपालन करने की अपेक्षा होगी।

रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना

10. (1) प्राधिकरण, आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक ने इन विनियमों में अधिकथित शर्तों का अनुपालन किया है और पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने का पात्र है और रजिस्ट्रीकरण फीस(प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट) की प्राप्ति पर, आवेदक को उन शर्तों के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण उचित समझे, रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकेगा।

(2) यदि प्राधिकरण की यह राय है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जा सकता है तो वह आवेदक को कमियां संसूचित करेगा और उनमें सुधार करने के लिए उसे तीस दिन का समय देगा।

(3) यदि आवेदक विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी कमियों में, प्राधिकरण के संतोषप्रद रूप में सुधार करने में असफल रहता है तो प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से इनकार कर सकेगा और आवेदक को ऐसी इनकारी के लिए कारण देते हुए संसूचित करेगा:

परन्तु प्राधिकरण द्वारा, आवेदक को उन आधारों के बारे में, जिस पर रजिस्ट्रीकरण से इनकार किया जाना प्रस्थापित है, लिखित निवेदन करने का अवसर दिए बिना, ऐसी कोई इनकारी नहीं की जाएगी।

(4) पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती ऐसी किसी अन्य शर्त का अनुपालन करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित की जाए, जैसा वह किसी आई.एफ.एस.सी. में निवेशकों या प्रतिभूति बाज़ार के व्यवस्थित विकास या पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती के कामकाज को विनियमित करने के हित में उचित समझे।

(5) किसी पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण, प्राधिकरण द्वारा केवल सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही वापस लिया जा सकेगा।

विधिमाम्यता की अवधि

11. किसी पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसी अवधि के लिए, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, तब तक विधिमाम्य रहेगा जब तक कि उसे प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता है।

रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण

12. कोई रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती प्राधिकरण के पास अपने रजिस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा:

परन्तु कोई ब्रोकर डीलर या समाशोधन सदस्य या निक्षेपागार सहभागी ऐसा आवेदन क्रमशः मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम या मान्यताप्राप्त निक्षेपागार के माध्यम से करेगा।

अध्याय 3

साधारण बाध्यताएं और उत्तरदायित्व

आचार संहिता

13. प्रत्येक पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती अनुसूची III में यथा-विनिर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेगा।

लेखा बहियां, अभिलेख और अन्य दस्तावेज़ रखना

14.(1) प्रत्येक पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती, निम्नलिखित लेखा-बहियां, अभिलेख और दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक पुनःप्राप्ति(रिट्रीवल) रूप में कम से कम दस वर्षों के लिए रखेगा और उसे परिरक्षित रखेगा, अर्थात्:-

(क) प्रत्येक लेखा अवधि के समाप्त होने पर तुलन पत्र की एक प्रति;

- (ख) प्रत्येक लेखा अवधि के लिए लाभ और हानि लेखे की एक प्रति;
- (ग) प्रत्येक लेखा अवधि के लिए लेखाओं के संबंध में लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति;
- (घ) प्रत्येक तिमाही के लिए शुद्ध सम्पत्ति का विवरणी;
- (ङ) ए.एम.एस. और सी.एफ.टी. दिशानिर्देशों के अनुपालन से संबंधित दस्तावेज़;
- (च) प्रत्येक ग्राहक का खाता खोलने से संबंधित दस्तावेज़ और ग्राहकों के मुख्तारनामे या हस्ताक्षर प्राधिकार के प्ररूप;
- (छ) पूंजी बाजारों में उसके क्रियाकलापों से संबंधित सुसंगत अभिलेख और दस्तावेज़; और
- (ज) ऐसी अन्य लेखा-बहियां, अभिलेख और दस्तावेज़, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

(2) ऐसे किसी पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती के संबंध में, जो निगमित निकाय नहीं है, वह निम्नलिखित लेखा-बहियां, अभिलेख और दस्तावेज़ कम से कम दस वर्ष के लिए इलैक्ट्रॉनिक पुनःप्राप्ति(रिट्रीवल) रूप में रखेगा, अर्थात्:-

- (क) प्राप्त और व्यय की गई समस्त धनराशियां;
- (ख) उसकी आस्तियां और दायित्व;
- (ग) प्रत्येक तिमाही के लिए शुद्ध संपत्ति की विवरणी;
- (घ) ए.एम.एस. और सी.एफ.टी. दिशानिर्देशों के अनुपालन से संबंधित दस्तावेज़;
- (ङ) प्रत्येक ग्राहक का खाता खोलने से संबंधित दस्तावेज़ और ग्राहकों के मुख्तारनामे या हस्ताक्षर प्राधिकार के प्ररूप;
- (च) पूंजी बाजारों में उसके क्रियाकलापों से संबंधित सुसंगत अभिलेख और दस्तावेज़; और
- (छ) ऐसी अन्य लेखा-बहियां, अभिलेख और दस्तावेज़, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

प्राधिकरण को जानकारी

15. (1) पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती, आवेदन के साथ इससे पूर्व प्रस्तुत की गई जानकारी या विशिष्टियों में किसी ऐसे तात्विक परिवर्तन की जानकारी प्राधिकरण को देगा, जिसका संबंध उसे प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र से है।

(2) रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती, प्राधिकरण को ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां, कथन और विशिष्टियां ऐसी रीति में, ऐसे अंतराल पर और ऐसे रूप में, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगा।

शिकायतों का निवारण

16. (1) रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती, निवेशकों की शिकायतों का, शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर निवारण करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा।

(2) मध्यवर्ती, निवेशकों की उन शिकायतों के संबंध में, जो उसके द्वारा प्राप्त की गई और ऐसी शिकायतों के निवारण का अभिलेख रखेगा।

कारबार निरन्तरता योजना

17. (1) रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती ऐसी कारबार-निरन्तरता योजना रखेगा, जिसमें किसी आपातकाल या महत्वपूर्ण कारबार संबंधी विघ्न से संबंधित प्रक्रियाओं को अभिलक्षित किया गया हो।

(2) रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती, प्रचालनों, ढांचे, कारबार या अवस्थान में किसी तात्विक परिवर्तन की दशा में अपनी कारबार-निरन्तरता योजना को अद्यतन करेगा।

(3) रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती अपनी कारबार-निरन्तरता योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन करेगा।

साइबर सुरक्षा और साइबर प्रतिरोधक्षमता

18. रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती, उन अपेक्षाओं के अनुसार, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, मजबूत साइबर सुरक्षा और साइबर प्रतिरोधक्षमता संबंधी ढांचा रखेगा।

जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण

19. (1) रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती, जोखिमों का व्यापक रूप से प्रबंधन करने के लिए एक ठोस जोखिम प्रबंधन प्रणाली रखेगा।

(2) रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती, ग्राहकों और उनकी आस्तियों के हितों का संरक्षण करने और जोखिम का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कारबार के उन प्रकारों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें वह लगा हुआ है (जिनके अंतर्गत ऐसे क्रियाकलाप भी हैं, जिन्हें बाहरी स्रोत से कराया जाता है) पर्याप्त आंतरिक प्रक्रिया और नियंत्रण रखेगा।

नियंत्रण में परिवर्तन

20. (1) किसी आई.एफ.एस.सी. में शाखा के रूप में प्रचालन करने वाला रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती, प्राधिकरण और उस बाज़ार अवसंरचना संस्था को, जिसका वह एक सदस्य है(यदि लागू हो) मध्यवर्ती के नियंत्रण में किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्तन होने के पन्द्रह दिन के भीतर सूचित करेगा।

(2) किसी आई.एफ.एस.सी. में निगमित कोई रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती, मध्यवर्ती के नियंत्रण में किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्तन की दशा में प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन की ईप्सा करेगा।

फीसों का संदाय

21. रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती, वार्षिक फीसों, व्यापारावर्त आधारित फीसों और ऐसी अन्य फीसों से संबंधित, जो प्राधिकरण या बाज़ार अवसंरचना संस्थाओं द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, फीसों का संदाय करेगा।

वार्षिक लेखापरीक्षा

22. (1) रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती, इन विनियमों के अनुपालन की बाबत भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के किसी सदस्य द्वारा या भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के किसी सदस्य द्वारा या किसी विदेशी अधिकार-क्षेत्र में लेखापरीक्षा का संचालन करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा कराएगा।

(2) रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती अतिरिक्त लेखापरीक्षाएं कराएगा और ऐसी रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति

23. रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती, विनियमनकारी अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, किसी व्यक्ति को उसके अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा।

अध्याय 4

विनिर्दिष्ट बाध्यताएं और उत्तरदायित्व

ब्रोकर डीलर और समाशोधन सदस्य

24. (1) किसी ब्रोकर डीलर या किसी समाशोधन सदस्य के पास निम्नलिखित प्रवर्गों के ग्राहक हो सकेंगे:

(क) भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति;

(ख) कोई अनिवासी भारतीय;

(ग) भारत में निवासी ऐसा गैर-व्यष्टि, जो फेमा के अधीन, अनुज्ञात बाह्य निवेश की सीमा तक, निधियों का अपतट निवेश करने का पात्र है;

(घ) भारत में निवासी ऐसा व्यष्टि, जो फेमा के अधीन, भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण स्कीम में अनुज्ञात सीमा तक, निधियों का अपतट निवेश करने का पात्र है।

(2) ब्रोकर डीलर, लागू विधियों का, जिसके अंतर्गत मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट उप-विधियां, नियम और विनियम भी हैं, अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(3) समाशोधन सदस्य, लागू विधियों का, जिसके अंतर्गत मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम द्वारा विनिर्दिष्ट उप-विधियां, नियम और विनियम भी हैं, अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

निक्षेपागार सहभागी

25. (1) किसी निक्षेपागार सहभागी निम्नलिखित प्रवर्गों के ग्राहक हो सकेंगे:

(क) भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति;

(ख) कोई अनिवासी भारतीय;

(ग) भारत में निवासी ऐसा गैर-व्यष्टि, जो फेमा के अधीन, अनुज्ञात बाह्य निवेश की सीमा तक, निधियों का अपतट निवेश करने का पात्र है;

(घ) भारत में निवासी ऐसा व्यष्टि, जो फेमा के अधीन, भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण स्कीम में अनुज्ञात सीमा तक, निधियों का अपतट निवेश करने का पात्र है।

(2) निक्षेपागार सहभागी, लागू विधियों का, जिसके अंतर्गत मान्यताप्राप्त निक्षेपागार द्वारा विनिर्दिष्ट उप-विधियां, नियम और विनियम भी हैं, अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(3) प्रत्येक निक्षेपाकार सहभागी द्वारा प्रत्येक फायदाग्राही स्वामी के नाम में पृथक् खाते खोले जाएंगे और प्रत्येक फायदाग्राही स्वामी की प्रतिभूतियों को पृथक्-पृथक् रखा जाएगा और उन्हें अन्य फायदाग्राही स्वामियों की प्रतिभूतियों के साथ या सहभागी की अपनी प्रतिभूतियों के साथ मिलाया नहीं जाएगा।

(4) निक्षेपागार सहभागी के पास अपने आंतरिक लेखाकरण नियंत्रण और प्रणालियों का पुनर्विलोकन, मानिटरिंग और मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त प्रणाली होगी।

(5) जहां अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं वहां निक्षेपागार सहभागी यह सुनिश्चित करेगा कि डाटा प्रक्रमण प्रणाली की सत्यनिष्ठा हमेशा बनाए रखी जाए।

(6) निक्षेपागार सहभागी अपने अभिलेखों का प्रत्येक ऐसे निक्षेपागार से, जिसमें वह सहभागी है, दैनिक आधार पर मिलान करेगा।

निवेश बैंकर

26. (1) निर्गम प्रबंधन से संबंधित किसी प्रमुख निवेश बैंकर के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा और ऐसे उत्तरदायित्वों को विनिर्दिष्ट करने वाली एक विवरणी प्राधिकरण को प्रतिश्रुति के लिए निर्गम के खुलने से कम से कम एक मास पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।

(2) जहां निर्गम के एक से अधिक प्रमुख निवेश बैंकर हैं वहां उप-विनियम (1) में यथा-विनिर्दिष्ट विवरणी ऐसे प्रत्येक प्रमुख निवेश बैंकर के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाएगा।

27. (1) निवेश बैंकर, प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ताओं के साथ, उस निर्गम में निवेश बैंकर की भूमिका और उत्तरदायित्वों को विनिर्दिष्ट करते हुए, एक करार करेगा।

(2) यदि निवेश बैंकर प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ता या प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किन्हीं विनियमों के निबंधनानुसार प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना करने वाले किसी व्यक्ति का संप्रवर्तक या कोई सहयुक्त है तो निवेश बैंकर, निर्गम या प्रस्थापना के विपणन के सिवाय कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी निवेश बैंकर को निर्गमकर्ता या व्यक्ति का सहयुक्त समझा जाएगा यदि:

(क) उनमें से कोई प्रत्यक्षतः या उसकी सहायक कंपनी या नियंत्रिणी कंपनी के माध्यम से अप्रत्यक्षतः दूसरे के कम से कम पचास प्रतिशत मतदान अधिकारों पर नियंत्रण रखता है; या

(ख) उनमें से कोई, प्रत्यक्षतः, स्वयं या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर दूसरे पर नियंत्रण का प्रयोग करता है; या

(ग) निर्गमकर्ता, उसकी सहायक कंपनी या नियंत्रिणी कंपनी और निवेश बैंकर के बीच, नामनिर्देशिती निदेशक को छोड़कर, एक सामान्य निदेशक है।

(3) कोई निवेश बैंकर या उसके प्रधान अधिकारियों, निदेशकों, भागीदारों या प्रबंधक में से कोई एक या तो अपनी-अपनी ओर से या अपने सहयुक्तों या नातेदारों के माध्यम से, उसके द्वारा किसी वृत्तिक नियतकार्य(एसाइनमेंट) के अनुक्रम में प्राप्त अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के आधार पर निर्गमकर्ता की प्रतिभूतियों में कोई संयवहार नहीं करेगा।

28. कोई निवेश बैंकर, किसी ऐसे निगमित निकाय की, जिसके निर्गम का प्रबंध उस निवेश बैंकर द्वारा किया जा रहा है, प्रतिभूतियों के अर्जन के लिए किसी संयवहार की संपूर्ण विशिष्टियां, ऐसा संयवहार किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

29. (1) कोई निवेश बैंकर किसी आई.एफ.एस.सी. में किसी निर्गम के हामीदार के रूप में कार्य कर सकेगा।

(2) हामीदार के रूप में कार्य करने वाला कोई निवेश बैंकर, प्रतिभूतियों के उस निर्गमकर्ता के साथ, जिसकी ओर से वह हामीदार के रूप में कार्य कर रहा है, ऐसा करार करेगा, जिसमें हामीदारी बाध्यताओं और कमीशन की रकम, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के आबंधन, समय-सीमा और अन्य सुसंगत ब्यौरों के संबंध में समझौता होगा।

(3) कोई हामीदार, हामीदार के करार के अधीन संदेय कमीशन या ब्रोकरेज के सिवाय निर्गम की हामादारी से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदे व्युत्पन्न नहीं करेगा।

(4) समस्त करारों के अधीन किसी भी समय कुल हामीदारी बाध्यताएं, निवेश बैंकर की शुद्ध संपत्ति के बीस गुना से अधिक नहीं होंगी।

पोर्टफोलियो प्रबंधक

30. किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक के पास निम्नलिखित प्रवर्गों के ग्राहक हो सकेंगे:

(क) भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति;

(ख) कोई अनिवासी भारतीय;

(ग) भारत में निवासी ऐसा गैर-व्यष्टि, जो फेमा के अधीन, अनुज्ञात बाह्य निवेश की सीमा तक, निधियों का अपतट निवेश करने का पात्र है;

(घ) भारत में निवासी ऐसा व्यष्टि, जो फेमा के अधीन, भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण स्कीम में अनुज्ञात सीमा तक, निधियों का अपतट निवेश करने का पात्र है।

31. किसी आई.एफ.एस.सी. में प्रचालन करने वाले किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक को, किसी आई.एफ.एस.सी. में, भारत या विदेशी अधिकार-क्षेत्र में प्रतिभूतियों और वित्तीय उत्पादों में निवेश करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु कोई वैवेकिक पोर्टफोलियो प्रबंधक, स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध या व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियों, पारस्परिक निधियों के यूनिटों और अन्य वित्तीय उत्पादों में, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, निवेश करेगा।

32. (1) कोई पोर्टफोलियो प्रबंधक, ग्राहक के साथ करार करने से पूर्व, ग्राहक को प्रकटन दस्तावेज़ देगा।

(2) पोर्टफोलियो प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रकटन दस्तावेज़ की प्रति पोर्टफोलियो प्रबंधक की वैबसाइट पर उपलब्ध हो।

(3) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रकटन दस्तावेज़ में, अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्थापित सेवाओं, जोखिम कारकों, ग्राहक प्रतिनिधित्व, वित्तीय प्रदर्शन, पोर्टफोलियो प्रबंधक के कार्यनिष्पादन, लेखापरीक्षक के संप्रेक्षण, व्ययों की प्रकृति, कराधान, निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली और पोर्टफोलियो प्रबंधक और उसके प्रधान अधिकारियों, निदेशकों/भागीदारों/अभिहित भागीदारों आर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मियों के विरुद्ध विनियामक प्राधिकारियों द्वारा की गई मुकदमेबाज़ी से संबंधित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।

33. (1) पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहक के साथ एक ऐसा लिखित करार करेगा, जिसमें परस्पर संबंधों को परिभाषित किया गया है और उसमें पोर्टफोलियो के प्रबंधन से संबंधित उनके परस्पर अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं उपवर्णित की गई है, जिसके अंतर्गत निवेश के उद्देश्यों, जोखिम कारकों, फीस के निबंधन, संविदा की अवधि, आदि से संबंधित ब्यौरे भी हैं।

(2) पोर्टफोलियो प्रबंधक और ग्राहक के बीच हुए करार में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ग्राहक द्वारा, संविदा की परिपक्वता से पूर्व निम्नलिखित परिस्थितियों में निधियां और प्रतिभूतियां वापस ली जा सकती हैं, अर्थात् -

(क) पोर्टफोलियो प्रबंधक या ग्राहक द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं का स्वेच्छया या अनिवार्यतः पर्यवसान; या

(ख) प्राधिकरण द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधक के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्दकरण; या

(ग) पोर्टफोलियो प्रबंधक की शोधन-अक्षमता या परिसमापन।

34. (1) पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहक को, पोर्टफोलियो प्रबंधक और ग्राहक के बीच हुए करार के निबंधनानुसार, आवधिक रूप से एक रिपोर्ट देगा जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ पोर्टफोलियो की संरचना और मूल्य, रिपोर्ट की अवधि के दौरान किए गए संव्यवहारों, रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्राप्त फायदाग्राही हित, पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने में उपगत व्ययों और पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा निवेश या विनिवेश के लिए अनुशंसित प्रतिभूतियों से संबंधित जोखिम के ब्यौरों से संबंधित विवरण अंतर्विष्ट होंगे।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट, प्रत्येक ग्राहक तक निर्बंधित पहुंच सहित आनलाइन उपलब्ध कराई जा सकेगी।

35. पोर्टफोलियो प्रबंधक, ग्राहकों से पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई वापसी की गारंटी या आश्वासन दिए बिना, करार की गई फीस प्रभारित करेगा और इस प्रकार प्रभारित फीस, नियत फीस या वापसी पर आधारित फीस या दोनों का संयोजन हो सकती है।

36. कोई वैवेकिक पोर्टफोलियो प्रबंधक, व्यष्टिक और स्वतंत्र रूप से, ग्राहक की निधियों का प्रबंधन ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार ऐसी रीति में करेगा, जो किसी पारस्परिक निधि की प्रकृति के सदृश नहीं होती है, जबकि कोई अवैवेकिक पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहक की निधियों का प्रबंधन ग्राहक के निदेशों के अनुसार करेगा।

37. (1) कोई पोर्टफोलियो प्रबंधक, ग्राहक से 70,000 यू.एस.डी. से कम मूल्य की निधियों या प्रतिभूतियां स्वीकार नहीं करेगा।
 (2) कोई पोर्टफोलियो प्रबंधक समस्त ग्राहकों की निधियां, किसी बैंककारी यूनिट में उसके द्वारा रखे जाने वाले किसी पृथक् खाते में रखेगा।
 (3) पोर्टफोलियो प्रबंधक, प्रतिभूतियों में ग्राहक की धृति को पृथक् खातों में पृथक्-पृथक् रखेगा।
 (4) ग्राहकों से प्राप्त निधियां, निवेश या विनिवेश, ग्राहक के खाते में सभी जमा, जैसे निवेश पर प्राप्त व्याज, लाभांश, बोनस, कोई अन्य फायदाग्राही हित तथा व्ययों के लिए विकलन, यदि कोई है, ग्राहक के खातों में समुचित रूप से प्रतिबिंबित होगा।
 (5) पोर्टफोलियो प्रबंधक, ग्राहक की निधियों की बाबत वैश्वासिक हैसियत में कार्य करेगा और ग्राहक की निधियों या प्रतिभूतियों में से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई फायदा व्युत्पन्न नहीं करेगा।
 (6) कोई पोर्टफोलियो प्रबंधक, ग्राहक की ओर से निधियां या प्रतिभूतियां उधार नहीं लेगा।
38. (1) पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा स्वीकार की गई धनराशियों या प्रतिभूतियों को पोर्टफोलियो प्रबंधक और ग्राहक के बीच किए गए करार के निबंधनानुसार निवेशित या प्रबंधित किया जाएगा।
 (2) पोर्टफोलियो प्रबंधक अपने ग्राहकों के पोर्टफोलियो का डेरिवेटिव्स में निवेश के लिए तब तक लाभ नहीं उठाएगा जब तक उसके ग्राहकों से अभिव्यक्त सम्मति अभिप्राप्त न कर ली गई हो।
 (3) पोर्टफोलियो प्रबंधक, ग्राहकों की निधियों के संबंध में व्यवहार करते समय सट्टेबाजी के संव्यवहारों में लिप्त नहीं होगा, अर्थात्, वह डेरिवेटिव्स में संव्यवहारों के सिवाय किसी ऐसी प्रतिभूति के क्रय या विक्रय के लिए, जो प्रतिभूति के वास्तविक परिदान या अंतरण से भिन्न आवधिक रूप से या अंततः परिनिर्धारित की जाती है, कोई संव्यवहार नहीं करेगा।
 (4) पोर्टफोलियो प्रबंधक, साधारणतया, प्रत्येक ग्राहक के लिए प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय पृथक्-पृथक् करेगा। तथापि, क्रयों के संकलन या आकारिक मितव्ययिता (इकॉनमी ऑफ स्केल) की दशा में, परस्पर आबंटन यथानुपात और दिन के संव्यवहारों की भारत औसत कीमत के आधार पर किया जाएगा। पोर्टफोलियो प्रबंधक किसी एक दिन में किए गए विक्रय या क्रय के आबंटन की बाबत कोई खुली स्थिति नहीं रखेगा।
 (5) पोर्टफोलियो प्रबंधक प्रत्येक ग्राहक की निधियों और प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो को पृथक्-पृथक् करेगा और उन्हें स्वयं अपनी निधियों और प्रतिभूतियों से पृथक् रखेगा तथा ग्राहक की निधियों और प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
 (6) पोर्टफोलियो प्रबंधक, पोर्टफोलियो खाते से संबंधित प्रतिभूतियों को या तो ग्राहकों के साथ की गई संविदा के आधार पर या अन्यथा ग्राहकों की ओर से स्वयं अपने नाम से धारित नहीं करेगा।
 (7) पोर्टफोलियो प्रबंधक (उनके सिवाय जो केवल सलाहकारी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं) उसके द्वारा प्रबंधित या प्रशासित प्रतिभूतियों की बाबत एक अभिरक्षक नियुक्त करेगा।
39. पोर्टफोलियो प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सेवाओं के वितरण में अंतर्वलित कोई व्यक्ति या इकाई, इन विनियमों और उसके अधीन समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों का अनुपालन करते हुए वितरण क्रियाकलाप कर रहा है।
40. पोर्टफोलियो प्रबंधक, अपने कार्य-निष्पादन की रिपोर्ट प्रकटनों में प्राधिकरण को और विपणन सामग्री और रिपोर्टें ग्राहकों को और अपनी वेबसाइट पर समान रूप से रिपोर्ट करेगा।
41. किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक के पोर्टफोलियो खातों की लेखापरीक्षा वार्षिक रूप से की जाएगी और प्रमाणपत्र की एक प्रति ग्राहक को दी जाएगी।
42. पोर्टफोलियो प्रबंधक, प्रधान अधिकारी की पहचान में हुए परिवर्तन को प्राधिकरण और ग्राहकों को, परिवर्तन होने के सात कार्य दिवस के भीतर प्रकट करेगा।

निवेश सलाहकार

43. निवेश सलाहकार के पास निम्नलिखित प्रवर्गों के ग्राहक हो सकेंगे:

- (क) भारत के बाहर निवासी कोई व्यक्ति;
- (ख) कोई अनिवासी भारतीय;
- (ग) भारत में निवासी ऐसा गैर-व्यष्टि, जो फेमा के अधीन, अनुज्ञात बाह्य निवेश की सीमा तक, निधियों का अपतट निवेश करने का पात्र है;
- (घ) भारत में निवासी ऐसा व्यष्टि, जो फेमा के अधीन, भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण स्कीम में अनुज्ञात सीमा तक, निधियों का अपतट निवेश करने का पात्र है।

44. निवेश सलाहकार अपने भावी ग्राहक को, अपने बारे में समस्त तात्विक जानकारी प्रकट करेगा, जिसके अंतर्गत उसका कारबार, अनुशासन संबंधी पूर्ववृत्त, वे निबंधन और शर्तें, जिसके आधार पर वह सलाहकारी सेवाएं प्रस्थापित करता है, अन्य मध्यवर्तियों से सहबद्धता और ग्राहक को इस संबंध में सुविचारित विनिश्चय करने में समर्थ बनाने के लिए कि वह उसकी सलाहकारी सेवाओं का उपभोग करे अथवा नहीं, ऐसी अन्य जानकारी भी है।

45. निवेश सलाहकार, अपने ग्राहकों को निम्नलिखित प्रकटन करेगा :-

- (क) उन वित्तीय उत्पादों या प्रतिभूतियों में, जो कि सलाह की विषयवस्तु हैं, उसकी धृति या स्थिति, यदि कोई है;
- (ख) उत्पादों/प्रतिभूतियों के किसी निर्गमकर्ता के साथ किसी संबंध या सहबद्धता से उद्भूत होने वाला कोई संभावित या वास्तविक हित-संघर्ष;
- (ग) उत्पादों और प्रतिभूतियों के प्रमुख लक्षणों, विशेषकर कार्य-निष्पादन संबंधी उपलब्धियों से संबंधित समस्त सामग्री;
- (घ) ऐसे निवेश उत्पाद से संबंधित दस्तावेजों और विज्ञापन सामग्री में, जिनकी वह ग्राहक को सिफारिश कर रहा है, चेतावनियां, दावा-परित्याग।

46. (1) निवेश सलाहकार अपने ग्राहकों की ओर से वैश्वासिक हैसियत में कार्य करेगा और सभी हित-संघर्षों को, जैसे ही वे उद्भूत होते हैं, प्रकट करेगा।

(2) निवेश सलाहकार, अंतर्निहित उत्पादों या प्रतिभूतियों की बाबत, जिनके लिए सलाह दी जाती है, ग्राहक से भिन्न किसी व्यक्ति से पारिश्रमिक या प्रतिकर या किसी अन्य रूप में कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं करेगा।

(3) निवेश सलाहकार, निवेश सलाहकार के रूप में अपने क्रियाकलापों और अन्य क्रियाकलापों के बीच उचित दूरी बनाए रखेगा।

(4) निवेश सलाहकार, ऐसी सलाह देने से 15 दिन की अवधि के लिए, अपनी ओर से ऐसा कोई संव्यवहार नहीं करेगा, जो उसके ग्राहकों को दी गई सलाह के प्रतिकूल है।

परन्तु यदि 15 दिन की अवधि के दौरान निवेश सलाहकार की यह राय है कि स्थिति में परिवर्तन हो गया है, तब वह ग्राहक को ऐसा संव्यवहार करने से कम से कम 24 घंटे पहले ऐसा पुनरीक्षित निर्धारण देने के पश्चात् स्वयं अपनी ओर से ऐसा संव्यवहार कर सकेगा।

(5) निवेश सलाहकार अपनी ओर से कोई कार्य नहीं करेगा, जानबूझकर प्रतिभूतियों या निवेश उत्पादों का विक्रय ग्राहक को नहीं करेगा या प्रतिभूतियों या निवेश उत्पादों का क्रय ग्राहक से नहीं करेगा।

47. निवेश सलाहकार यह सुनिश्चित करेगा कि जोखिम प्रोफाइलिंग के प्रयोजनार्थ,-

- (क) ग्राहक से ऐसी जानकारी अभिप्राप्त करता है, जो निवेश सलाह देने के प्रयोजनार्थ आवश्यक है;
- (ख) उसके पास उस जोखिम का निर्धारण करने की प्रक्रिया है जो जोखिम ग्राहक लेने का इच्छुक है और उसके लिए सक्षम है;
- (ग) ग्राहक का जोखिम प्रोफाइल, जोखिम निर्धारण पूरा करने के पश्चात् ग्राहक को संसूचित कर दिया गया है;
- (घ) ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और उनका जोखिम निर्धारण आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है।

48. निवेश सलाहकार यह सुनिश्चित करेगा कि वे सभी निवेश, जिनके संबंध में निवेश सलाह प्रदान की जाती है, ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल के लिए उपयुक्त है और ग्राहक के निवेश संबंधी उद्देश्यों और वित्तीय स्थिति से संगत हैं।

49. (1) निवेश सलाहकार, निवेश सलाहकारी और वितरण सेवाओं के लिए ग्राहक स्तर पर पृथक्करण रखेगा।

(2) निवेश सलाहकार, किसी पृथक् रूप से अभिज्ञेय विभाग या खंड के माध्यम से सलाहकारी सेवाएं प्रदान करके, निवेश सलाहकार और वितरक के रूप में अपने क्रियाकलापों के बीच उचित दूरी बनाए रखेगा।

50. (1) निवेश सलाहकार अपने सलाहकारी ग्राहकों को प्रतिभूति बाजार में कार्यान्वयन सेवाएं प्रदान कर सकेगा:

परन्तु निवेश सलाहकार निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करेगा:

- (क) संभावित हित-संघर्ष, यदि कोई है, उसके ग्राहकों को पर्याप्त रूप से प्रकट कर दिया गया है;
- (ख) कार्यान्वयन सेवाओं के लिए प्रभारित फीस, यदि कोई है, उसके ग्राहक के बीच हुए करार के अनुसरण में है और उसे पारदर्शी रीति में प्रकट कर दिया गया है।

(2) निवेश सलाहकार अपने सलाहकारी ग्राहकों को केवल प्रत्यक्ष स्कीमों/उत्पादों के माध्यम से कार्यान्वयन सेवाएं प्रदान करेगा।

(3) ग्राहक, निवेश सलाहकार द्वारा प्रस्थापित कार्यान्वयन सेवाओं का उपभोग करने संबंधी किसी बाध्यता के अधीन नहीं होगा।

अभिरक्षक

51. (1) अभिरक्षक अपने अभिरक्षणीय क्रियाकलापों को अन्य सभी क्रियाकलापों से पृथक्-पृथक् रखेगा।

(2) अभिरक्षक के पास अपने नियंत्रणों, पद्धतियों, प्रणालियों और सुरक्षोपायों का पुनर्विलोकन, मानिट्रिंग और मूल्यांकन करने के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त प्रणालियां होंगी।

(3) अभिरक्षक, प्रत्येक ग्राहक के साथ एक करार करेगा और उस करार में प्रतिभूतियों या वित्तीय उत्पादों या निधियों की अभिरक्षा से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों के संबंध में ब्यौरे दिए जाएंगे।

(4) अभिरक्षक के पास अभिलेखों आर दस्तावेजों के किसी छलसाधन को रोकने और अभिलेखों को चोरी आर प्राकृतिक संकट से संरक्षित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण होंगे।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

52. (1) कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऐसे प्रत्येक ग्राहक के साथ, जिनकी प्रतिभूतियों को रेटिंग देने की उसकी प्रस्थापना है, एक लिखित करार करेगा और ऐसे प्रत्येक करार में प्रत्येक पक्षकार के अधिकार और दायित्व तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस शामिल होगी।

(2) ग्राहक निम्नलिखित बातें प्रकट करने के लिए करार करेगा,-

(क) किसी आई.एफ.एस.सी. में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्थापित ग्राहक की प्रतिभूतियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई रेटिंग; और

(ख) किसी आई.एफ.एस.सी. में सूचीबद्ध ग्राहक की प्रतिभूतियों की बाबत किसी अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई कोई रेटिंग, जिसे ग्राहक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

53. ग्राहक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रतिभूतियों या वित्तीय उत्पादों की सही और यथार्थ रेटिंग निकालने के लिए अपेक्षित समस्त सहयोग प्रदान करेगा।

54. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, प्रतिभूतियों को समनुदेशित रेटिंग, इस बात को विचार में लाए बिना ग्राहक को प्रकट करेगी कि ग्राहक द्वारा वह रेटिंग स्वीकार की जाती है अथवा नहीं।

55. (1) कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसके द्वारा रेट की गई प्रतिभूतियों के जीवनकाल के दौरान, लगातार ऐसी प्रतिभूतियों की रेटिंग को मानीटर करेगी और जब तक रेटिंग को वापस न ले लिया गया हो, उस रेटिंग का आवधिक पुनर्विलोकन करेगी।

(2) कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, रेटिंग में परिवर्तन के संबंध में जानकारी का तुरंत प्रेस रिलीज़ के माध्यम से और इसके साथ-साथ मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को, यदि प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं, तुरंत प्रसार करेगी।

(3) कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सिवाय वहां जहां कि उस कंपनी का, जिसकी प्रतिभूति को रेट किया गया है, समापन हो गया है या उसका एक अन्य कंपनी में विलयन या समामेलन हो गया है या जैसा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी रेटिंग को तब तक वापस नहीं लेगी जब तक उसके द्वारा रेट की गई प्रतिभूति के अधीन बाध्यताएं बकाया है।

56. (1) कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, संबंधित रेटिंग की परिभाषाओं को, प्रतीक सहित आम करेगी और यह कथन करेगी कि रेटिंग से किन्हीं प्रतिभूतियों को क्रय करने, धारण करने या उसका विक्रय करने की सिफारिशें गठित नहीं होती हैं।

(2) कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, रेटिंगों के तर्काधार से संबंधित जानकारी, आम जनता को उपलब्ध कराएगी, जिसके अंतर्गत किसी अनुकूल निर्धारण को न्यायोचित ठहराने वाले विभिन्न कारक तथा जोखिम गठित करने वाले कारक भी आएंगे।

57. (1) कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, रेटिंग प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करेगी और उसकी एक प्रति प्राधिकरण के समक्ष अभिलेख के लिए फाइल करेगी।

(2) किसी क्रेडिट रेटिंग के पास वृत्तिक रेटिंग समितियां होंगी, जिनमें ऐसे सदस्य शामिल होंगे जो कोई रेटिंग समनुदेशित करने के लिए पर्याप्त रूप से अर्हित और सुविज्ञ हैं और रेटिंग संबंधी सभी विनिश्चय रेटिंग समिति द्वारा लिए जाएंगे।

58. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, किसी प्रतिभूति या किसी वित्तीय उत्पाद की रेटिंग करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए सम्यक् तत्परता बरतेगी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई रेटिंग निष्पक्ष और समुचित है।

59. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसके द्वारा या किसी ऐसी इकाई द्वारा, जिसका किसी रीति में हित-संघर्ष होने की संभावना है, निर्गमित

प्रतिभूतियों को, क्रेडिट रेटिंग के लिए पारिश्रमिक से भिन्न रूप में रेट नहीं करेगी।

60. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसके द्वारा किसी वृत्तिक नियतकार्य(एसाइनमेंट) के अनुक्रम में प्राप्त अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के आधार पर सौदे करने से निवारित करने हेतु समुचित प्रक्रियाएं और पद्धतियां रखेगी।

डिबेंचर न्यासी

61. (1) कोई डिबेंचर न्यासी, डिबेंचरों के निर्गम के लिए प्रतिभूति सूची के खोले जाने से पूर्व, निर्गमकर्ता के साथ एक करार करेगा, जिसमें कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के आबंटन के संबंध में समझौता और अन्य सुसंगत ब्यौरे होंगे।

(2) ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति को डिबेंचर न्यासी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जहां डिबेंचर न्यासी निर्गमकर्ता का सहयुक्त है या उसका, डिबेंचर न्यासी को पारिश्रमिक के रूप में नियुक्त करने से भिन्न किसी भी रीति में हित-संघर्ष होने की संभावना है।

(3) डिबेंचर न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि:

(क) वह उस न्यास विलेख को स्वीकार करता है, जिसमें ऋण निर्गम से संबंधित मानक जानकारी के ब्यौरे और विशिष्ट ऋण से संबंधित विनिर्दिष्ट ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे और उसमें ऐसी कोई प्रसंविदा नहीं होगी जो डिबेंचरधारकों के हित के प्रतिकूल हो;

(ख) विवरणिका में ऐसी कोई बात नहीं है, जो डिबेंचर निर्गम के निबंधनों और न्यास विलेख से असंगत है;

(ग) वह निर्गमकर्ता कंपनी से बोर्ड की संसुगत बैठक के सात दिन के भीतर या संबंधित तिमाही के पैंतालीस दिन के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, आवधिक रिपोर्टें/कार्य-निष्पादन रिपोर्ट मंगाता है;

(घ) वह डिबेंचरों के निर्गम द्वारा जुटाई गई निधियों के उपयोग के संबंध में रिपोर्टें मंगाता है;

(ङ) वह डिबेंचरधारक को ब्याज के संदाय या डिबेंचरों के मोचन और उसके अधीन की गई कार्यवाहियों की बाबत व्यतिक्रमों के बारे में, यदि कोई हैं, संसूचित करता है;

(च) वह ब्याज के संदाय में दो निरन्तर व्यतिक्रमों या प्रतिभूति के सृजन में व्यतिक्रम या डिबेंचरों के मोचन में व्यतिक्रम की दशा में, निर्गमकर्ता के बोर्ड में एक नामनिर्देशित निदेशक नियुक्त करता है। निर्गमकर्ता, इस संबंध में समस्त अपेक्षित समर्थन प्रदान करने के लिए आवद्ध होगा;

(छ) निर्गमकर्ता डिबेंचरों के निर्गम के निबंधनों का या न्यास विलेख की प्रसंविदाओं का भंग नहीं करता है और ऐसे भंग का उपचार करने के लिए युक्तियुक्त कदम उठाता है और डिबेंचरधारकों को ऐसे किसी भंग की तुरंत सूचना देता है;

(ज) निर्गमकर्ता, डिबेंचरों के लिए प्रतिभूति के सृजन, डिबेंचर मोचन आरक्षित और वसूली व्यय निधि के संबंध में शर्तों को, यदि कोई हैं, पूरा करता है;

(झ) निर्गमकर्ताओं की या प्रत्याभूतिदाताओं की आस्तियां, ब्याज और मूल रकम का उन्मोचन करने के लिए हर समय पर्याप्त हैं और ऐसी आस्तियां उन विल्लंगमों के सिवाय, जो डिबेंचरधारकों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से करार की जाए, किन्हीं अन्य विल्लंगमों से मुक्त हैं;

(ञ) वह ऐसे सभी कार्य करेगा, जो प्रतिभूति के प्रवर्तन और डिबेंचरधारकों के हित के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं;

(ट) वह डिबेंचरों के निर्गम द्वारा जुटाई गई निधियों का उपयोग किए जाने से संबंधी रिपोर्टों की मांग करेगा;

(ठ) वह डिबेंचरधारकों की बैठक, जब भी अपेक्षित हो, बुलाने के लिए कदम उठाता है;

(ड) डिबेंचरों का संपरिवर्तन या मोचन, डिबेंचरों के निर्गम के निबंधनों के अनुसार किया गया है;

(ढ) वह न्यास की संपत्ति को न्यास विलेख के निबंधनों के अनुसार कब्जे में लेता है;

(ण) डिबेंचरों को डिबेंचरधारकों के डीमैट खातों में जमा कर दिया गया है;

(त) डिबेंचरधारकों को डिबेंचरों पर देय ब्याज और डिबेंचर के मोचन की तारीख को उन्हें देय धनराशियों का संदाय कर दिया गया है;

(थ) वह न्यास विलेख या किसी लागू विधि के उपबंध के किसी भंग के बारे में तुरंत प्राधिकरण को सूचित करता है;

(द) वह परियोजना की प्रगति के संबंध में, प्रमुख बैंक से रिपोर्टें अभिप्राप्त करता है; और

(ध) वह निर्गमकर्ता और न्यास संपत्ति की लेखा-बहियों, अभिलेखों, रजिस्ट्रों का उस सीमा तक निरीक्षण कर सकेगा जिस सीमा तक उसकी बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिए आवश्यक है।

(4) डिबेंचर न्यासी, डिबेंचरों के लिए प्रतिभूति पर किसी प्रभार का सृजन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र रूप से सम्यक् तत्परता बरतेगा कि ऐसी प्रतिभूति किसी भी विल्लंगम से मुक्त है या यदि प्रतिभूति पर कोई विद्यमान प्रभार है तो उसने अन्य प्रभार-धारकों से उस रीति में, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, आवश्यक सम्मति अभिप्राप्त कर ली है।

(5) कोई भी डिबेंचर न्यासी किसी निर्गमकर्ता के डिबेंचर निर्गम की बाबत डिबेंचर न्यासी के रूप में अपनी असाइनमेंट का तब तक परित्याग नहीं करेगा जब तक कि निर्गमकर्ता द्वारा उसके स्थान पर एक अन्य डिबेंचर न्यासी को नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।

लेखा संकलनकर्ता

62. (1) लेखा संकलनकर्ता के प्रचालन प्रौद्योगिकी रूप से संचालित होंगे।

(2) लेखा संकलनकर्ता के पास यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और नियंत्रण होंगे कि डाटा और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की सत्यनिष्ठा को हर समय बनाए रखा जाए।

(3) लेखा संकलनकर्ता, समुचित करारों या प्राधिकारों के पश्चात्, जो भी लागू हों, लेखा संकलन सेवाएं प्रदान करेगा।

(4) लेखा संकलनकर्ता अपने लेखा पृथक्करण क्रियाकलापों को अन्य सभी क्रियाकलापों से पृथक् रखेगा।

अध्याय 5

सीमा-पार कारबार

63. (1) इस अध्याय के उपबंध किसी आई.एफ.एस.सी. में निगमित किसी रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती को लागू होंगे और ये आई.एफ.एस.सी. के बाहर निगमित और किसी आई.एफ.एस.सी. में शाखा के रूप में प्रचालन करने वाली इकाइयों को लागू नहीं होंगे।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती, भारत में या किसी विदेशी अधिकार-क्षेत्र में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए सीमा-पार कारबार कर सकेगा:

(क) मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करेगा कि पूंजी बाजारों में उसके सीमा-पार कारबार क्रियाकलाप अन्य अधिकार-क्षेत्र की लागू विनियमनकारी अपेक्षाओं के अनुपालन में हैं;

(ख) मध्यवर्ती, आई.एफ.एस.सी. से संबंधित पूंजी बाज़ार क्रियाकलापों को अपने सीमा-पार प्रचालनों से निर्बंधित करेगा;

(ग) मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण हैं कि उसके ग्राहकों के हितों का पर्याप्त रूप से संरक्षण होता है:

(घ) मध्यवर्ती यह सुनिश्चित करेगा कि उसके ग्राहकों को उसके सीमा-पार कारबार के संबंध में सत्य, सही और पर्याप्त प्रकटन(जिसके अंतर्गत जोखिम भी हैं) किए जाएं;

(ङ) मध्यवर्ती, के.वाई.सी. मानदंडों, ग्राहक सम्यक् तत्परता, धनशोधन रोधी(ए.एम.एल.) मानकों और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम(सी.एफ.टी.) का पालन निम्नलिखित के अनुसार करेगा:-

i. आई.एफ.एस.सी. में शामिल ग्राहकों की बाबत आई.एफ.एस.सी. में लागू मानदंड; और

ii. अन्य अधिकार-क्षेत्र में शामिल ग्राहकों की बाबत आई.एफ.एस.सी. में या अन्य अधिकार-क्षेत्र में लागू मानदंड।

(च) मध्यवर्ती अपने सीमा-पार क्रियाकलापों का अभिलेख (जिसके अंतर्गत ग्राहक के ब्यौरे, के.वाई.सी., संव्यवहारों के ब्यौरे आदि हैं) कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए, इलेक्ट्रॉनिक पुनःप्राप्ति(रिट्रीवल) रूप में बनाए रखेगा और जब भी अपेक्षित हो, उन्हें प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा;

(छ) मध्यवर्ती के पास उसके सीमा-पार प्रचालनों की बाबत शिकायतों पर कार्यवाही करने से संबंधित नीतियां और प्रक्रियाएं होंगी;

(ज) यदि मध्यवर्ती के विरुद्ध उसके सीमा-पार क्रियाकलापों के लिए किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो मध्यवर्ती तुरंत इसकी सूचना प्राधिकरण को देगा:

(झ) मध्यवर्ती, प्राधिकरण को ऐसी रिपोर्टें, जो प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगा।

(3) ऐसा रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती, जो सीमा-पार कारबार का प्रचालन कर रहा है, प्राधिकरण को किसी लेखापरीक्षक से, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 90 दिन के भीतर एक वार्षिक प्रमाणन प्रस्तुत करेगा कि इस अध्याय में विनिर्दिष्ट शर्तों और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विनियमनकारी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

(4) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती के सीमा-पार क्रियाकलापों से कोई पर्यवेक्षी मामला उद्भूत होता है तो प्राधिकरण मध्यवर्ती से यह अपेक्षा कर सकेगा कि या तो वह पर्यवेक्षी मामले का निपटारा करने के लिए अतिरिक्त अध्यापय करे या सीमा-पार कारबार क्रियाकलापों को बन्द कर दे।

(5) रजिस्ट्रीकृत पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती ऐसी अतिरिक्त अपेक्षाओं का पालन करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं।

अध्याय 6

निरीक्षण

निरीक्षण

64. (1) प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से या सूचना या शिकायत प्राप्त होने पर, किसी भी समय किसी प्रयोजन के लिए, जिसके अंतर्गत उप-विनियम (2) के अधीन यथा-उपदर्शित प्रयोजन भी हैं, किसी पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती की लेखा-बहियों, लेखाओं, अभिलेख और दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए एक या उसके अधिक व्यक्तियों को निरीक्षक प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के अंतर्गत निम्नलिखित हो सकेंगे,-

(क) यह सुनिश्चित करना कि लेखा-बहियां, अभिलेख और दस्तावेज़, इन विनियमों के अधीन यथापेक्षित रीति में रखे जा रहे हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के उपबंधों, उसके अधीन बनाए गए विनियमों और जारी परिपत्रों का अनुपालन किया गया है;

(ग) यह अभिनिश्चित करना कि पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती द्वारा इन विनियमों के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां, प्रक्रियाएं और सुरक्षोपाय स्थापित किए गए हैं;

(घ) यह अभिनिश्चित करना कि क्या ऐसी कोई परिस्थितियां विद्यमान हैं जो मध्यवर्ती को अनुपयुक्त या अपात्र बना देंगी;

(ङ) निवेशकों, ग्राहकों, अन्य बाज़ार सहभागियों या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे किसी विषय के संबंध में, जिसका मध्यवर्ती के क्रियाकलापों से संबंध है, प्राप्त शिकायतों की जांच करना; और

(च) ऐसे मामलों के संबंध में, जो आई.एफ.एस.सी में निवेशकों या पूंजी बाज़ार के हित में उपयुक्त समझे जाएं, स्वप्रेरणा से जांच करना।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन कोई निरीक्षण करने से पूर्व, निरीक्षक प्राधिकारी पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती को एक सूचना देगा:

परन्तु जहां निरीक्षक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि निवेशकों के हित में ऐसी कोई सूचना नहीं दी जानी चाहिए तो वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी सूचना को अभिमुक्त कर सकेगा।

(4) उप-विनियम (1), (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम और मान्यताप्राप्त निक्षेपागार, क्रमशः रजिस्ट्रीकृत ब्रोकर डीलर, रजिस्ट्रीकृत समाशोधन सदस्य और रजिस्ट्रीकृत निक्षेपागार सहभागी का निरीक्षण उनकी अपनी-अपनी उप-विधियों के अनुसार कर सकेगा।

(5) प्राधिकरण और सुसंगत बाज़ार अवसंरचना संस्था, किसी पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती का संयुक्त निरीक्षण कर सकेगी।

निरीक्षण पर पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती की बाध्यताएं

65. (1) जहां प्राधिकरण द्वारा किसी पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती का निरीक्षण किया जाता है वहां ऐसा पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती और मध्यवर्ती का प्रत्येक प्रधान अधिकारी, स्वत्वधारी, भागीदार, अभिहित भागीदार, न्यासी, निदेशक, अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी और कोई अभिकर्ता, समस्त सहायता प्रदान करेगा और निरीक्षक प्राधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा निरीक्षक प्राधिकारी को अपने क्रियाकलापों से संबंधित लेखा-बहियां, अभिलेख और दस्तावेज़, ऐसी विवरणियों और जानकारी सहित, उतने समय के भीतर, जो निरीक्षक प्राधिकारी विनिश्चित करे, प्रस्तुत करेगा।

(2) पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती ऐसी समस्त सहायता देगा, जो निरीक्षण के संबंध में अपेक्षित हो और निरीक्षक प्राधिकारी को उसके परिसरों तक युक्तियुक्त पहुंच अनुज्ञात करेगा तथा अपने कब्जे वाली किसी लेखा-बहियों, अभिलेख और दस्तावेज़ की परीक्षा करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा प्रदान करेगा और ऐसे अभिलेख या दस्तावेज़ या अन्य सामग्री की प्रतियां भी उपलब्ध कराएगा, जो निरीक्षक

प्राधिकारी की राय में निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत हैं।

लेखापरीक्षक या मूल्यांकक की नियुक्ति

66. (1) प्राधिकरण, किसी पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती की लेखा-बहियों, अभिलेखों, दस्तावेज़ों, अवसंरचनाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं या कामकाज का निरीक्षण करने के लिए एक लेखापरीक्षक नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु इस प्रकार नियुक्त किए गए लेखापरीक्षक के पास किसी निरीक्षक प्राधिकारी के समान शक्तियां होंगी:

परन्तु यह और कि पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती और उसके कर्मचारियों की बाध्यताएं वही होंगी, जो विनियम 65 में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) प्राधिकरण किसी मूल्यांकक की नियुक्ति कर सकेगा या यदि आवश्यक समझा जाए, तो पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती को एक मूल्यांकक नियुक्त करने का निदेश दे सकेगा।

(3) प्राधिकरण, लेखापरीक्षक और मूल्यांकक से संबंधित व्ययों की वसूली पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती से करने का हकदार होगा।

रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना

67. निरीक्षक प्राधिकारी, एक निरीक्षण रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत अंतरिम रिपोर्टें भी हैं, प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा और प्राधिकरण ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो वह उपयुक्त और उचित समझे।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

रजिस्ट्रीकरण का निलंबन, रद्दकरण या कोई अन्य कार्रवाई

68. (1) प्राधिकरण, किसी पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या रद्दकरण भी है, जो वह उचित समझे, यदि वह:

(क) किन्हीं ऐसी शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है, जिनके अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है; या

(ख) अधिनियम या नियमों या विनियमों के किसी उपबंध का या उसके अधीन जारी किए गए परिपत्रों, दिशानिर्देशों या निदेशों या अनुदेशों का उल्लंघन करता है।

(2) उप-विनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज किसी रजिस्ट्रीकृत ब्रोकर डीलर के विरुद्ध लागू विधियों के अनुसार ऐसी कोई कार्रवाई कर सकेगा, जो वह उचित समझे, जिसके अंतर्गत निलंबन भी है।

(3) उप-विनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम, किसी रजिस्ट्रीकृत समाशोधन सदस्य के विरुद्ध लागू विधियों के अनुसार ऐसी कोई कार्रवाई कर सकेगा, जो वह उचित समझे, जिसके अंतर्गत निलंबन भी है।

(4) उप-विनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई मान्यताप्राप्त निक्षेपागार किसी रजिस्ट्रीकृत निक्षेपागार सहभागी के विरुद्ध लागू विधियों के अनुसार ऐसी कोई कार्रवाई कर सकेगा, जो वह उचित समझे, जिसके अंतर्गत निलंबन भी है।

जानकारी मंगाने की शक्ति

69. प्राधिकरण, किसी पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती से कोई जानकारी, दस्तावेज़ या अभिलेख मंगा सकेगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

70. इन विनियमों के प्रावधानों की व्याख्या या लागू करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण को मार्गदर्शन नोट्स या परिपत्रों के माध्यम से निर्देश जारी करने की शक्ति होगी।

विनियमों के सख्त प्रवर्तन को शिथिल करने की शक्ति

71. (1) प्राधिकरण, आई.एफ.एस.सी. में वित्तीय सेवाओं के विकास और विनियमन के हित में, इन विनियमों की किन्हीं अपेक्षाओं के कठोर प्रवर्तन को शिथिल कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन शिथिलता की ईप्सा करने के लिए, उन व्यौरों और आधारों को देते हुए, जिनके आधार पर ऐसी शिथिलता की ईप्सा की गई है, एक आवेदन प्राधिकरण के समक्ष 1500 यू.एस.डी. की अप्रतिदेय फीस सहित फाइल किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण, ऐसे आवेदन के सब प्रकार से पूर्ण रूप में प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उस आवेदन पर कार्यवाही करेगा और आवेदक द्वारा ईप्सित शिथिलताओं को स्वीकार या इनकार करने के कारण लेखबद्ध करेगा।

प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

72. प्राधिकरण, इन विनियमों के कार्यान्वयन और इससे अनुषंगिक विषयों के प्रयोजनों के लिए, पूंजी बाज़ार मध्यवर्तियों को परिपत्रों या दिशानिर्देशों या निदेशों द्वारा मानदंड, प्रक्रियाएं, आदेशिकाएं, आदि विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

73. (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने पर, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) दिशानिर्देश, 2015 का अध्याय 3, किसी आई.एफ.एस.सी. को लागू नहीं होगा।

(2) इन विनियमों के प्रारंभ होने पर, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंकर) विनियम, 1992, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (हामीदार) विनियम, 1993, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम के बैंकर) विनियम, 1994, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेश सलाहकार) विनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर) विनियम, 1992, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) विनियम, 1999, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजारों में सहयुक्त व्यक्तियों का प्रमाणन) विनियम, 2007, किसी आई.एफ.एस.सी. को लागू नहीं होंगे।

(3) आई.एफ.एस.सी. में पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए प्रचालन संबंधी दिशानिर्देशों से संबंधित सेबी का परिपत्र सेबी/एच.ओ./आई.एम.डी./डी.एफ.आई./सी.आई.आर./पी/2020/169, तारीख 9 सितम्बर, 2020 और आई.एफ.एस.सी. में निवेश सलाहकारों के लिए प्रचालन संबंधी दिशानिर्देशों से संबंधित सेबी के परिपत्र सेबी/एच.ओ./आई.एम.डी./डी.एफ.आई./सी.आई.आर./पी/2020/04, तारीख 9 जनवरी, 2020, सेबी/एच.ओ./आई.एम.डी./डी.एफ.आई./सी.आई.आर./पी/2020/31, तारीख 28 फरवरी, 2020 और सेबी/एच.ओ./आई.एम.डी./डी.एफ.आई./सी.आई.आर./पी/2020/185, तारीख 28 सितम्बर, 2020 का अधिक्रमण हो जाएगा।

(4) उप-विनियम (1), (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी, इन विनियमों के प्रारंभ से पूर्व, उप-विनियम (1), (2) और (3) में उल्लिखित विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों के अधीन की गई या की गई तात्पर्यित किसी कार्रवाई के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई या प्रारंभ की गई है।

(5) सेबी द्वारा, विनियमों के संबंध में, विनिर्दिष्ट रूप से उप-विनियम (2) के अंतर्गत आने वाले और किसी आई.एफ.एस.सी. में किसी पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती को लागू विनियमों के संबंध में जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के बारे में तब तक यह समझा जाएगा कि वे इन विनियमों के अधीन जारी किए गए हैं, जब तक अधिकरण द्वारा इनका अधिक्रमण या इसमें उपांतरण नहीं कर दिया जाता है।

अनुसूची।

भाग।

आवेदन-पत्र

क्रम सं.	पैरामीटर	आवेदक द्वारा जानकारी
1.	आवेदक का नाम	
2.	किस क्रियाकलाप के लिए आवेदन किया जा रहा है	
3.	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता पत्र-व्यवहार के लिए पता टेलीफोन नंबर संपर्क व्यक्ति का नाम, टेलीफोन नंबर (मोबाइल और सीधी लाइन) और ईमेल पता (केवल अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी)	
4.	आवेदक की विधिक स्थिति किस विधि के अधीन वह निगमित/स्थापित/रजिस्ट्रीकृत है यदि सूचीबद्ध है तो उन स्टॉक एक्सचेंजों के नाम, जहां वह सूचीबद्ध है	

5.	<p>निगमन या स्थापना की तारीख और स्थान</p> <p>कारबार प्रारंभ करने की तारीख</p> <p>कृपया निम्नलिखित संलग्न करें:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ निगमन प्रमाणपत्र, ○ संगम ज्ञापन ○ संगम अनुच्छेद ○ एल.एल.पी. विलेख/भागीदारी विलेख/न्यास विलेख ○ वे कानूनी उपबंध या कोई अन्य सांविधानिक दस्तावेज दें, जिनके अधीन निगमित या स्थापित है ○ पैन/कर-पहचान संख्यांक(यदि लागू हो) 	
6.	<p>क्या आई.एफ.एस.सी. में शाखा के रूप में विद्यमान है या आई.एफ.एस.सी. में स्थापित/निगमित है?</p> <p>यदि शाखा के रूप में स्थापित है तो यह घोषणा प्रस्तुत करें कि आई.एफ.एस.सी. में शाखा के प्रचालनों को आई.एफ.एस.सी. के बाहर के प्रचालनों से निर्बंधित किया जाएगा।</p>	
7.	<p>क्या आई.एफ.एस.सी.ए. के पास अथवा वित्तीय क्षेत्र के किसी अन्य विनियमनकारी प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत है?</p> <p>यदि हां, रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे दें (रजिस्ट्रीकरण संख्यांक, रजिस्ट्रीकरण तारीख, विधिमान्यता की तारीख)</p> <p>कृपया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें</p>	
8.	<p>आवेदक द्वारा आई.एफ.एस.सी. में या आई.एफ.एस.सी. के बाहर इससे पहले चलाए गए क्रियाकलाप का संक्षिप्त सार</p>	
9.	<p>प्रधान अधिकारी और निदेशक बोर्ड/भागीदार/अभिहित भागीदार/स्वत्वधारी/न्यासी के ब्यौरे, जैसे नाम, पदनाम, कारबार पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल पता</p> <p>कृपया पैन/कर-पहचान संख्यांक की प्रति दें (यदि लागू हो)</p>	
10.	<p>बड़े शेयरधारकों (5 प्रतिशत या अधिक मतदान अधिकार वाले)/भागीदारों की सूची</p>	
11.	<p>वित्तीय जानकारी (तुलनपत्र और पी. एंड एल. विवरणी)</p> <p>कृपया ऐसी वित्तीय जानकारी संलग्न करें, जो आवेदन की तारीख से छह मास से अधिक पुरानी न हो।</p>	
12.	<p>आवेदक की हाल ही की वित्तीय विवरणी के अनुसार शुद्ध संपत्ति</p> <p>कृपया चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव(या विदेशी अधिकार-क्षेत्र में उनके समतुल्य) द्वारा जारी ऐसा शुद्ध संपत्ति प्रमाणपत्र संलग्न करें, जो आवेदन की तारीख को छह मास से पुराना न हो।</p>	
13.	<p>आई.एफ.एस.सी. में अवसंरचना के ब्यौरे</p>	
14.	<p>कारबार योजना (कम से कम तीन वर्षों के लिए)</p>	
15.	<p>आवेदक या उसके निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या नियंत्री शेयरधारकों की बाबत, क्या#:</p>	

(क)	उस व्यक्ति को किसी आर्थिक अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है? यदि हां, ब्यौरे दें	
(ख)	उस व्यक्ति के विरुद्ध किसी वित्तीय विनियमनकारी प्राधिकरण द्वारा कोई वसूली कार्यवाही संस्थित की गई है और वह लंबित है? यदि हां तो ब्यौरे दें।	
(ग)	उस व्यक्ति के विरुद्ध अपकरण के लिए परिसमापन संबंधी कोई आदेश पारित किया गया है? यदि हां तो ब्यौरे दें।	
(घ)	उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया गया है और उन्मोचित नहीं किया है? यदि हां तो ब्यौरे दें	
(ङ)	किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा उस व्यक्ति को वित्तीय उत्पादों या वित्तीय सेवाओं तक पहुंच रखने या उनमें व्यवहार करने से अवरुद्ध, प्रतिषिद्ध या वर्जित करने वाला कोई आदेश पारित किया गया है? यदि हां तो ब्यौरे दें।	
(च)	उस व्यक्ति के विरुद्ध किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई ऐसा अन्य आदेश पारित किया गया है जिसका संबंध प्रतिभूति बाज़ार से है? यदि हां तो ब्यौरे दें।	
(छ)	उस व्यक्ति को सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा विकृत चित्त वाला पाया गया है? यदि हां तो ब्यौरे दें।	
(ज)	उस व्यक्ति को जानबूझकर व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? यदि हां तो ब्यौरे दें।	
(झ)	उस व्यक्ति को फरार आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है? यदि हां तो ब्यौरे दें।	

#आवेदकों द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट उपयुक्त और उचित अपेक्षाओं का अनुपालन करने के संबंध में एक घोषणा दी जाएगी।

विभिन्न प्रवर्गों के मध्यवर्तियों के लिए अतिरिक्त जानकारी:

क. ब्रोकर डीलर/समाशोधन सदस्य

1. सदस्य का नाम, कोड नं. सहित
2. सदस्य का ट्रेड नाम
3. उस स्टॉक एक्सचेंज/समाशोधन निगम का नाम, जिसका अपीलार्थी सदस्य है
4. एक्सचेंज/समाशोधन निगम में प्रवेश की तारीख

ब्रोकर डीलर/समाशोधन सदस्य के लिए आवेदन-पत्र के साथ स्टॉक एक्सचेंज/समाशोधन निगम की सिफारिश संलग्न की जाएगी।

ख. निक्षेपागार सहभागी

1. उस निक्षेपागार का नाम, जिसमें अपीलार्थी सहभागी के रूप में कार्य कर रहा होगा:
2. सुरक्षित रखने और सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे दें:
 - i. जोखिम नियंत्रण और प्रचालन मैनुअल;
 - ii. लेखाकरण और रिपोर्टिंग प्रणालियों और प्रक्रियाओं की मानिट्रिंग, मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के ब्यौरे दें।
3. कृपया स्वचलित डाटा प्रक्रमण प्रणाली और अभिलेख के रखरखाव के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे दें:
 - i. हार्डवेयर, साफ्टवेयर और संचार प्रणालियों के ब्यौरे, उनकी सक्षमता, कृत्य और अवस्थान;
 - ii. डाटा भंडारण और बैकअप प्रक्रियाओं और साइटों, उनकी सक्षमता, कृत्य और अवस्थान के ब्यौरे;

iii. आपदा पुनःप्राप्ति (रिट्रीवल) प्रणाली और प्रक्रिया के ब्यौरे ।

4. लिए जाने वाले बीमा कवर के ब्यौरे ।

5. उस निक्षेपागार से, जिसमें आवेदक ने एक सहभागी के रूप में कार्य करना है, यह घोषणा कि:

i. आवेदक निक्षेपागार सहभागी के रूप में कार्य करने का पात्र है और वह इन विनियमों में और निक्षेपागार की उप-विधियों में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करता है; और

ii. आवेदक के पास निक्षेपागार के समाधानप्रद रूप में सहभागी के रूप में अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्वचलित डाटा प्रक्रमण प्रणाली, पर्याप्त और सक्षम स्टॉफ, जोखिम प्रबंधन पद्धति, प्रक्रिया और मैनुअल, आपदा पुनःप्राप्ति (रिट्रीवल) प्रक्रिया, सुरक्षित डाटा भंडारण और ऑफ साइट बैकअप सुविधाएं, पर्याप्त संचार लिंक और बीमा है ।

निक्षेपागार सहभागी के लिए आवेदन-पत्र के साथ निक्षेपागार की सिफारिश संलग्न की जाएगी।

ग. निवेश बैंकर

1. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का अनुभव, विशेष रूप से निवेश बैंककारी क्रियाकलापों में अनुभव ।

2. असंरचना के ब्यौरों में संगणन सुविधाएं, साम्या अनुसंधान और निवेश बैंककारी क्रियाकलापों से संबंधित अन्य सुसंगत जानकारी के संबंध में ब्यौरे भी आते हैं ।

3. पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निवेश बैंकिंग से संबंधित क्रियाकलापों को संभालने का अनुभव, यदि लागू हो ।

4. बैंककारी यूनिट के ब्यौरे ।

5. लेखापरीक्षकों के नाम और पते ।

घ. पोर्टफोलियो प्रबंधक

1. प्रधान अधिकारियों की अर्हता, कार्य अनुभव और प्रमाणन के संबंध में ब्यौरे दें ।

2. सुसंगत प्रमाणनों की एक प्रति दें ।

3. कारबार योजना के ब्यौरों के अंतर्गत निम्नलिखित से संबंधित जानकारी भी है:

क. अनुसरण की जाने वाली जोखिम प्रोफाइलिंग योजना

ख. अनुसरण की जाने वाली लेखाकरण प्रणाली

ग. विभिन्न अनुसंधान और डाटाबेस सुविधाएं

घ. बाहरी स्रोत से कराए जाने के लिए प्रस्तावित क्रियाकलाप

4. अभिरक्षक के ब्यौरे

5. बैंककारी यूनिट के ब्यौरे

6. लेखापरीक्षक के ब्यौरे

7. प्रकटन दस्तावेज़ की प्रति

8. अतिरिक्त घोषणाएं:

क. इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अर्हता और प्रमाणन अपेक्षाओं का अनुपालन करने से संबंधित घोषणा ।

ख. ग्राहक को भेजी गई/भेजे जाने के लिए प्रस्तावित रिपोर्टों के प्रकार और उनकी आवृत्ति के संबंध में घोषणा ।

ग. आई.एफ.एस.सी.ए. को आवधिक रिपोर्टें भेजे जाने के संबंध में घोषणा ।

घ. निवेश तर्काधार के लिए अभिलेख रखने के संबंध में घोषणा ।

ङ. उसकी वेबसाइट पर प्रकटन दस्तावेज़ की उपलब्धता के संबंध में घोषणा ।

ड. निवेश सलाहकार

1. ऐसे प्रधान अधिकारियों और व्यक्तियों की संख्या, जिनका इन विनियमों के अधीन आवेदक की ओर से निवेश सलाह प्रदान किया जाना प्रस्तावित है ।

2. प्रधान अधिकारियों और निवेश सलाह से सहबद्ध व्यक्तियों की अर्हता, कार्य अनुभव और प्रमाणन के संबंध में ब्यौरे दें।
3. सुसंगत प्रमाणनों की प्रति दें।
4. कारबार योजना के ब्यौरों में निम्नलिखित के बारे में जानकारी शामिल होगी:

क. ग्राहकों का प्रकार

ख. उन उत्पादों/प्रतिभूतियों का प्रकार, जिनके संबंध में निवेश सलाह प्रदान किया जाना प्रस्तावित है

ग. ग्राहक के जोखिम प्रोफाइलिंग के लिए और सलाह की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए प्रक्रिया।

5. अतिरिक्त घोषणाएं:

क. आवेदक द्वारा यह घोषणा कि उसका प्रधान अधिकारी और निवेश सलाह से सहबद्ध व्यक्ति, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अर्हता और प्रमाणन संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

ख. यह घोषणा कि आवेदक अंतर्निहित उत्पादों या प्रतिभूतियों की बाबत, जिनके लिए ग्राहक को सलाह दी जाती है, उस ग्राहक से भिन्न, जिसे सलाह दी जा रही है, किसी व्यक्ति से पारिश्रमिक या प्रतिकर या किसी अन्य रूप में कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं करेगा।

च. अभिरक्षक

1. कृपया वे सेवाएं उपदर्शित करें जो अभिरक्षक के रूप में ग्राहकों को दी जाती हैं या ग्राहकों को दी जानी प्रस्तावित हैं।
2. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की अर्हता और अनुभव के संबंध में ब्यौरे दें।
3. अभिरक्षण क्रियाकलापों में पिछले अनुभव के बारे में, विशेषकर पिछले 3 वर्षों के दौरान ब्यौरे।
4. अवसंरचना के बारे में ब्यौरों के अंतर्गत स्वचलित डाटा प्रक्रमण प्रणाली और अभिलेख के रखरखाव, बैकअप प्रक्रियाओं और आपदा पुनःप्राप्ति(रिट्रीवल) प्रणाली और प्रक्रिया के संबंध में ब्यौरे भी हैं।
5. सुरक्षित रखने और सुरक्षा प्रणाली और प्रक्रिया के संबंध में ब्यौरे दें।

छ. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

1. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की अर्हता और अनुभव के संबंध में ब्यौरे दें।
2. अवसंरचना के बारे में ब्यौरों के अंतर्गत आवेदक के पास उपलब्ध संगणन सुविधाओं, अनुसंधान के लिए सुविधाओं और डाटाबेस से संबंधित ब्यौरे भी हैं।
3. क्रेडिट रेटिंग क्रियाकलापों और अन्य क्रियाकलापों में पिछले अनुभव, विशेषकर पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुभव के बारे में ब्यौरे।

ज. डिबेंचर न्यासी

1. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की अर्हता और अनुभव के संबंध में ब्यौरे दें।
2. डिबेंचर न्यासी से संबंधित क्रियाकलापों में पिछला अनुभव, विशेषकर, पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुभव के बारे में ब्यौरे।

झ. लेखा संकलनकर्ता

1. अवसंरचना के ब्यौरों के अंतर्गत आई.टी. प्रणाली के बारे में ब्यौरे भी शामिल होंगे।
2. लेखा संकलन क्रियाकलापों में पिछले अनुभव, विशेषकर पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुभव के बारे में ब्यौरे।

घोषणा सह वचनबंध (सभी प्रवर्गों के आवेदकों के लिए लागू)

हम एतद्वारा यह करार और घोषणा करते हैं कि आवेदन में प्रदत्त की गई जानकारी, जिसके अंतर्गत संलग्नक शीट भी हैं, हमारी जानकारी के अनुसार पूर्ण और सही हैं।

हम आवेदन में दी गई जानकारी में किसी तात्त्विक परिवर्तन को तुरंत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आई.एफ.एस.सी.ए.) को अधिसूचित करने का वचनबंध करते हैं।

हम, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 और आई.एफ.एस.सी.ए. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और अनुदेशों का अनुपालन करने और उनसे आबद्ध होने का भी वचनबंध करते हैं।

हम आगे यह करार करते हैं कि रजिस्ट्रीकरण की शर्त के रूप में, हम ऐसे अनुदेशों या निदेशों का अनुपालन करेंगे, जो आई.एफ.एस.सी.ए. द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।

(कृपया आवेदक का नाम अंतःस्थापित करें) की ओर से

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम) (हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

भाग II

सरलीकृत आवेदन-पत्र

क्रम सं.	पैरामीटर	आवेदक द्वारा जानकारी
1.	आवेदक का नाम	
2.	किस क्रियाकलाप के लिए आवेदन किया जा रहा है	
3.	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता पत्र-व्यवहार के लिए पता टेलीफोन नंबर संपर्क व्यक्ति का नाम, टेलीफोन नंबर (मोबाइल और सीधी लाइन) और ईमेल पता (केवल अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी)	
4.	आवेदक की विधिक स्थिति किस विधि के अधीन वह निगमित/स्थापित/रजिस्ट्रीकृत है यदि सूचीबद्ध है तो उन स्टॉक एक्सचेंजों के नाम जहां वह सूचीबद्ध है	
5.	निगमन या स्थापना की तारीख और स्थान कारबार प्रारंभ करने की तारीख कृपया निम्नलिखित संलग्न करें: <ul style="list-style-type: none"> ○ निगमन प्रमाणपत्र, ○ संगम ज्ञापन ○ संगम अनुच्छेद ○ एल.एल.पी. विलेख/भागीदारी विलेख/न्यास विलेख ○ वे कानूनी उपबंध या कोई अन्य सांविधानिक दस्तावेज़ दें, जिनके अधीन निगमित या स्थापित है 	
6.	क्या आई.एफ.एस.सी. में शाखा के रूप में विद्यमान है या आई.एफ.एस.सी. में स्थापित/निगमित है? यदि शाखा के रूप में स्थापित है तो यह घोषणा प्रस्तुत करें कि आई.एफ.एस.सी. में शाखा के प्रचालनों को आई.एफ.एस.सी. के बाहर के प्रचालनों से निर्बंधित किया जाएगा।	
7.	प्रधान अधिकारी और निदेशक बोर्ड/भागीदार/अभिहित भागीदार/स्वत्वधारी/न्यासी के ब्यौरे, जैसे नाम, पदनाम, कारबार पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल पता	
8.	आवेदक की हाल ही कि लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के अनुसार शुद्ध संपत्ति कृपया किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा या उस अधिकार-क्षेत्र में, जिसमें आवेदक	

	रजिस्ट्रीकृत या निगमित है, प्रवृत्त विधियों के अधीन उसके समतुल्य द्वारा शुद्ध संपत्ति संबंधी प्रमाणपत्र दें (आवेदन की तारीख से छह मास से अधिक पुराना नहीं)।	
9	किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण के पास इसी प्रवर्ग में रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे दें (रजिस्ट्रीकरण संख्यांक, रजिस्ट्रीकरण तारीख, विधिमान्यता की तारीख) कृपया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें	

#सभी आवेदकों द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट उपयुक्त और उचित अपेक्षाओं का अनुपालन करने के संबंध में एक घोषणा दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, पोर्टफोलियों प्रबंधकों और निवेश सलाहकारों की बाबत, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अर्हता और प्रमाणन संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में घोषणा दी जाएगी।

घोषणा सह वचनबंध (सभी प्रवर्गों के आवेदकों के लिए लागू)

हम एतद्वारा यह करार और घोषणा करते हैं कि आवेदन में प्रदत्त की गई जानकारी, जिसके अंतर्गत संलग्नक शीट भी हैं, हमारी जानकारी के अनुसार पूर्ण और सही हैं।

हम आवेदन में दी गई जानकारी में किसी तात्त्विक परिवर्तन को तुरंत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आई.एफ.एस.सी.ए.) को अधिसूचित करने का वचनबंध करते हैं।

हम, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 और आई.एफ.एस.सी.ए. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और अनुदेशों का अनुपालन करने और उनसे आबद्ध होने का भी वचनबंध करते हैं।

हम आगे यह करार करते हैं कि रजिस्ट्रीकरण की शर्त के रूप में, हम ऐसे अनुदेशों या निदेशों का अनुपालन करेंगे, जो आई.एफ.एस.सी.ए. द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएं।

(कृपया आवेदक का नाम अंतःस्थापित करें) की ओर से

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम) (हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

अनुसूची II

शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाएं

क्रम सं.	प्रवर्ग	शुद्ध संपत्ति	
		भारत में निगमित इकाइयां(इसके अंतर्गत आई.एफ.एस.सी. भी है)	विदेशी इकाइयां
1.	ब्रोकर डीलर	मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट	न्यूनतम 135,000 यू.एस.डी. के अधीन रहते हुए, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट
2.	समाशोधन सदस्य	मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट	न्यूनतम 1,350,000 यू.एस.डी. के अधीन रहते हुए, मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट

	स्व-समाशोधन सदस्य	मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट	न्यूनतम 675,000 यू.एस.डी. के अधीन रहते हुए, मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट
3	निक्षेपागार सहभागी	निक्षेपागार द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट	निक्षेपागार द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट
4.	निवेश बैंकर	750,000 यू.एस.डी.	1.5 मिलियन यू.एस.डी.
5	पोर्टफोलियो प्रबंधक	750,000 यू.एस.डी.	1.5 मिलियन यू.एस.डी.
6	निवेश सलाहकार	500,000 यू.एस.डी.	1 मिलियन यू.एस.डी.
7	अभिरक्षक	7 मिलियन यू.एस.डी.	प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-विनिर्दिष्ट
8	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	3 मिलियन यू.एस.डी.	6 मिलियन यू.एस.डी.
9.	डिबेंचर न्यासी	1.5 मिलियन यू.एस.डी.	3 मिलियन यू.एस.डी.
10	लेखा संकलनकर्ता	500,000 यू.एस.डी.	1 मिलियन यू.एस.डी.

अनुसूची III

आचार संहिता

भाग क – समस्त पूंजी बाज़ार मध्यवर्तियों को लागू आचार संहिता

कोई पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती:

1. निवेशकों के हित की संरक्षा के लिए समस्त प्रयास करेगा और ग्राहकों को, उनकी आवश्यकताओं, परिवेश और उसके अपने वृत्तिक कौशल को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम संभावित सलाह प्रदान करेगा।
2. अपने कारबार के संचालन में, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के उच्च मानकों का पालन करेगा और अपनी बाध्यताओं को तुरंत, नीतिपूर्वक और वृत्तिक रीति में पूरा करेगा।
3. हमेशा सम्यक् तत्परता बरतेगा, समुचित सावधानी सुनिश्चित करेगा और स्वतंत्र वृत्तिक निर्णयों का प्रयोग करेगा।
4. छलसाधक, कपटपूर्ण और भ्रामक संव्यवहारों या स्कीमों में लिप्त नहीं होगा या बाज़ार का संतुलन बिगाड़ने या व्यक्तिगत लाभ कमाने की दृष्टि से अफवाहें नहीं फैलाएगा।
5. एकल रूप से या अन्य मध्यवर्तियों या निर्गमकर्ता के साथ दुरभिसंधि करके ऐसी रीति में मिथ्या बाज़ार का सृजन नहीं करेगा, जो कि निवेशकों के हितों के लिए हानिकर है या जिसके परिणामस्वरूप बाज़ार के ऋजु और निर्बाध कार्यकरण में हस्तक्षेप पैदा होता है।
6. यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि निवेशकों की जांचों या शिकायतों के संबंध में समयबद्ध और समुचित रीति में कार्यवाही की जाए।
7. ग्राहक को अपनी सक्षमता, अर्हता और ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अपनी उपलब्धियों के बारे में मौखिक रूप से या लिखित रूप में बड़ा-चढ़ा कर कोई कथन नहीं करेगा।
8. अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी की बाबत, वहां के सिवाय जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुपालन में ऐसे प्रकटन करना अपेक्षित हो, गोपनीयता बनाए रखेगा।
9. हित-संघर्ष से बचेगा और अपने सभावित हित-संघर्ष और कर्तव्यों के संबंध में पर्याप्त प्रकटन करेगा तथा हित-संघर्ष की किसी स्थिति का समाधान करने के लिए एक क्रियातंत्र बनाएगा।
10. ऐसी किसी अनुचित प्रतिस्पर्धा में लिप्त नहीं होगा जिससे अन्य पूंजी बाज़ार मध्यवर्तियों और निवेशकों के हितों को नुकसान पहुंचने की संभावना है।
11. अपने ग्राहकों के बीच, नीतिपरक और वाणिज्यिक विचारणाओं के सिवाय, भेदभाव नहीं करेगा।
12. यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रीकरण की स्थिति में किसी परिवर्तन/प्राधिकरण द्वारा की गई किसी शास्तिक कार्रवाई या वित्तीय स्थिति में किसी ऐसे तात्विक परिवर्तन के बारे में, जिससे ग्राहकों/निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ग्राहकों

को तुरंत सूचित कर दिया जाए।

13. उसके विरुद्ध किसी विधि के, प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक निकाय द्वारा जारी किए गए विनियमों, निदेशों के तात्विक भंग की बाबत संस्थित की गई किसी कार्रवाई के बारे में प्राधिकरण को तुरंत सूचित करेगा।

14. यह सुनिश्चित करेगा कि वह और उसका कोई कर्मचारी किसी प्रतिभूति के बारे में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निवेश संबंधी कोई सलाह सार्वजनिक रूप से सुलभ मीडिया में तब तक प्रदान नहीं करेगा जब तक ऐसी सलाह प्रदान करते समय उक्त प्रतिभूति में उसके हित के बारे में प्रकटन न कर दिया गया हो।

15. यह सुनिश्चित करेगा कि वह या उसके प्रधान अधिकारियों, निदेशकों या कर्मचारियों में से कोई, जिसके पास प्रबंधतंत्र की शक्ति है, या तो अपनी ओर से या अपने नातेदारों या मित्रों की मार्फत अनधिकृत व्यापार में लिप्त नहीं होगा।

16. ऐसे प्रभावशाली समुचित संसाधन और प्रक्रियाएं रखेगा और उनका उपयोग करेगा, जो उसके कारबार के क्रियाकलापों के दक्ष कार्य-निष्पादन के लिए आवश्यक हैं।

17. ऐसी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और वित्तीय और प्रचालन संबंधी सामर्थ्य रखेगा, जो ग्राहकों और निवेशकों की चोरी, कपट, लोपों और वृत्तिक अवचार से उद्भूत होनी वाली वित्तीय हानि से संरक्षा करने के लिए पर्याप्त हैं।

18. अपने आंतरिक प्रचालनों और अपने कर्मचारियों के आचरण को शासित करने के लिए स्वयं अपनी आंतरिक संहिता तैयार करेगा।

19. यह सुनिश्चित करेगा कि अनुपालन अधिकारी को अपने कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता और शक्ति प्राप्त हो।

20. यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे वह नियोजित या नियुक्त करता है, उपयुक्त और उचित व्यक्ति है तथा इस प्रकार नियोजित या नियुक्त की गई हैसियत में कार्य करने के लिए अन्यथा अर्हित है।

21. निम्नलिखित के संबंध में एक पक्षकार या उसका सहायक नहीं होगा:

(क) मिथ्या बाज़ार का सृजन;

(ख) कीमत में हेरा-फेरी या झलसाधन;

(ग) ऐसी किन्हीं प्रतिभूतियों की बाबत, जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और सूचीबद्ध की जानी प्रस्तावित हैं, किसी अन्य मध्यवर्ती या किसी व्यक्ति को अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का हस्तांतरण।

22. किसी पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती का वरिष्ठ प्रबंधतंत्र, मध्यवर्ती द्वारा आचरण संबंधी समुचित मानक बनाए रखना और समुचित प्रक्रियाओं का पालन करना सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख उत्तरदायित्व का वहन करेगा।

23. असत्य कथन नहीं करेगा या प्राधिकरण को प्रस्तुत किए गए किन्हीं दस्तावेजों, रिपोर्टों या जानकारी में किसी तात्विक तथ्य को नहीं छिपाएगा।

24. किसी ऐसे ग्राहक या निवेशक को, जिसके बारे में यह प्रत्याशा की जा सकती है कि वह किन्हीं प्रतिभूतियों के अर्जन, व्ययन या प्रतिधारण के लिए उसका अवलंब लेगा, तब तक कोई सिफारिश नहीं करेगा जब तक उसके पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार न हों कि वह सिफारिश उपयुक्त है।

भाग ख

इस अनुसूची के भाग क में यथा-विनिर्दिष्ट आचार-संहिता के अनुपालन के अतिरिक्त, निम्नलिखित पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती, निम्नलिखित आचार-संहिता का पालन करेंगे:

क. ब्रोकर डीलर या समाशोधन सदस्य:

1. अधिनियम के सभी उपबंधों और भारत सरकार, प्राधिकरण और मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज/मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम द्वारा समय-समय पर जारी किए गए उन नियमों, विनियमों का, जो लागू होते हैं, पालन करेगा।

2. अपने आप को बाज़ार में, युक्तियुक्त स्तरों से परे और अपनी वित्तीय दृढ़ता के अननुरूप, आधिक्य सट्टेबाजी के कारबार में लिप्त नहीं होगा।

3. प्रतिभूतियों का सर्वोत्तम उपलब्ध कीमत पर क्रय करने और विक्रय करने संबंधी आदेशों को ईमानदारी से निष्पादित करेगा और किसी छोटे निवेशक के साथ मात्र अंतर्वलित कारबार की मात्रा के आधार पर सौदा करने से इनकार नहीं करेगा।

4. अपने ग्राहक को आदेश के निष्पादन या गैर-निष्पादन के बारे में तुरंत सूचित करेगा और विक्रीत प्रतिभूतियों की बाबत तुरंत संदाय करेगा तथा उसके ग्राहकों द्वारा क्रय की गई प्रतिभूतियों के तुरंत परिदान की व्यवस्था करेगा।

5. अपने ग्राहकों को सभी संव्यवहारों के लिए, स्टॉक एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में एक संविदा टिप्पण तुरंत जारी करेगा।
6. ब्रोकरेज या कमीशन सृजित करने के एकमात्र उद्देश्य से प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय को प्रोत्साहित नहीं करेगा।
7. ग्राहकों को विशिष्ट प्रतिभूतियों में कारबार करने के लिए प्रेरित करने और उसके द्वारा ब्रोकरेज या कमीशन अर्जित करने के लिए स्वयं को समर्थ बनाने की दृष्टि से, मिथ्या या भ्रामक कोटेशन नहीं देगा या ग्राहकों को कोई अन्य मिथ्या या भ्रामक सलाह या जानकारी नहीं देगा।
8. ऐसे किसी ग्राहक के लिए, जो किसी अन्य ब्रोकर डीलर के साथ प्रतिभूतियों के संबंध में अपनी प्रतिबद्धताओं को कार्यान्वित करने में असफल रहा है, जानबूझकर, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः व्यवहार या संव्यवहार नहीं करेगा या किसी आदेश को निष्पादित नहीं करेगा।
9. अपने कारबार को, जब तक स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनुज्ञात न किया जाए, सार्वजनिक रूप से विज्ञापित नहीं करेगा।
10. अन्य ब्रोकर डीलर से ग्राहकों को प्रेरित करने के लिए अनुचित माध्यमों का सहारा नहीं लेगा।

ख. निक्षेपागार सहभागी:

1. फायदाग्राही स्वामियों को समुचित अग्रिम सूचना के बिना प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रभारों/फीस में वृद्धि नहीं करेगा।
2. किसी फायदाग्राही स्वामी का खाता खोलने में, डिमटेरियलाइजेशन(अभौतिकीकरण) अनुरोध पत्र भेजने, पुनःभौतिकीकरण अनुरोध पत्र और विकलन अनुदेश पर्ची के निष्पादन और उसके द्वारा फायदाग्राही स्वामियों की ओर से किए गए अन्य क्रियाकलापों में त्वरित और तत्पर रहेगा।
3. यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और आवश्यक कदम उठाएगा कि डाटा और अभिलेख के रखरखाव की सततता बनाए रखी जाए और यह कि डाटा या अभिलेख गुम या नष्ट न हों। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके पास इलैक्ट्रानिक अभिलेख और डाटा के लिए अद्यतन बैकअप सदैव उपलब्ध रहे।
4. यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास ऐसी संतोषप्रद आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं विद्यमान हैं तथा ऐसी पर्याप्त वित्तीय और प्रचालन संबंधी क्षमताएं हैं जिनकी चोरी, कपट और अन्य बेइमानी के कार्यों, वृत्तिक अवचार या लोपों के कारण उद्भूत होने वाली किन्हीं हानियों की देखरेख करने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जाती है।

ग. निवेश बैंकर:

1. यह सुनिश्चित करेगा कि निवेशकों को एक संतुलित और सुविचारित विनिश्चय करने में समर्थ बनाने हेतु लागू विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार किसी समयबद्ध रीति में पर्याप्त प्रकटन किए जाएं।
2. यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि निवेशकों को कोई भ्रामक या बड़ा-चढ़ा कर दावे या कोई दुर्व्यपदेशन किए बिना सही और पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाए और उन्हें निवेश संबंधी कोई विनिश्चय करने से पूर्व सहवर्ती जोखिमों के बारे में जागरूक किया जाए।
3. यह सुनिश्चित करेगा कि निवेशक को निर्गम या प्रस्थापना के समय विवरणिका, प्रस्थापना दस्तावेज़, प्रस्थापना-पत्र या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज़ की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।
4. अपने ग्राहकों के बीच, नीतिपरक और वाणिज्यिक विचारणाओं के सिवाय, भेदभाव नहीं करेगा।
5. अपने निवेश बैंककारी क्रियाकलाप और किसी अन्य क्रियाकलाप के बीच उचित दूरी बनाए रखेगा।
6. उसके द्वारा नियुक्त किए गए विभिन्न मध्यवर्तियों के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से सीमांकित करेगा जिससे कि उनके कार्य वर्णन में विरोधाभास या भ्रम से बचा जा सके।

घ. किसी निर्गम का बैंकर:

1. ब्रोकर की मोहर वाले खाली आवेदन पत्रों को बैंक परिसर में रखे जाने या परिसर के प्रवेश-द्वार के समीप कहीं फेरी लगाने की अनुज्ञा नहीं देगा।
2. आवेदन-पत्रों को कार्यालय के घंटों के पश्चात् या निर्गम के बन्द हो जाने की तारीख के पश्चात् या बैंक की छुट्टी के दिनों में स्वीकार नहीं करेगा।
3. निर्गम के आगमों को तब तक खर्च नहीं करेगा जब तक स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निगमित निकाय को सूचीबद्ध करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं हो जाती।
4. प्रमुख प्रबंधक और निगमित निकाय को संग्रहण के आंकड़ों से संबंधित अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब नहीं करेगा।

ड. पोर्टफोलियो प्रबंधक:

1. यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक से किसी निवेश प्रयोजन के लिए प्राप्त धनराशि का उपयोग, यथासंभव शीघ्र उस प्रयोजन के लिए कर दिया जाए तथा किसी ग्राहक से देय और उसे संदेय धनराशि का भुगतान तुरंत कर दिया जाए।
2. ग्राहक के हित के विरुद्ध उसके सांपत्तिक खाते में कोई सौदा निष्पादित नहीं करेगा।
3. विभिन्न निगमित निकायों में ग्राहक के हित को लिखित में अभिप्राप्त करेगा जो ऐसे ग्राहक को ऐसे निगमित निकायों से अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी अभिप्राप्त करने में समर्थ बनाता है।
4. ग्राहकों की प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए और लाभांश, ब्याज भुगतानों और ग्राहक को उद्भूत होने वाले अन्य अधिकारों का दावा करने और उसे प्राप्त करने के लिए, जहां आवश्यक हो और ग्राहक के हित में, पर्याप्त कदम उठाएगा।
5. ग्राहक के अनुदेशानुसार, प्रतिभूतियों के संपरिवर्तन और अधिकारों के त्याग के लिए प्रतिश्रुति करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।
6. पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करते समय, ग्राहकों के निवेश संबंधी विनिश्चय को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए, किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती के रूप में अपनी हैसियत का प्रयोग नहीं करेगा।
7. किसी असाइनमेंट के लिए प्रतिस्पर्धा करने या उसका निष्पादन करते समय, ऐसा कोई कथन नहीं करेगा या किसी ऐसे कार्य, क्रिया या अनुचित प्रतिस्पर्धा में लिप्त नहीं होगा, जिसके अन्य पोर्टफोलियो प्रबंधकों के हितों के लिए हानिकर होने की संभावना है या जिससे ऐसे अन्य पोर्टफोलियो प्रबंधकों को स्वयं पोर्टफोलियो प्रबंधक के संबंध में किसी अलाभकर स्थिति में डालने की संभावना है।
8. क. यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि निवेशकों को, किसी प्रकार के गुमराह करने वाले या बढ़ा-चढ़ाकर दावे किए बिना सही और पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाए और उनके द्वारा निवेश संबंधी कोई विनिश्चय किए जाने से पूर्व उन्हें सहवर्ती जोखिमों के बारे में जागरूक कराया जाए;

ख. ग्राहकों को, उनकी आवश्यकताओं, परिवेश और उसके अपने वृत्तिक कौशल को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम संभावित सलाह प्रदान करने का प्रयास करेगा; और

ग. यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि सभी वृत्तिक व्यवहार त्वरित, दक्ष और किफायती रीति में प्रभावी किए जाएं।

च. निवेश सलाहकार:

1. अपने ग्राहकों से उनकी वित्तीय स्थिति, निवेश अनुभव और प्रदान की जाने वाली सेवाओं से सुसंगत निवेश संबंधी उद्देश्यों के बारे में जानकारी की ईप्सा करेगा और ऐसी जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेगा।
2. अपने ग्राहकों से व्यवहार करते समय, सुसंगत तात्विक जानकारी के पर्याप्त प्रकटन करेगा।
3. यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों से प्रभारित फीस उचित और युक्तिसंगत हो।

छ. अभिरक्षक:

1. ग्राहक की ओर से अभिरक्षा में रखी गई प्रतिभूतियों पर उसके द्वारा प्राप्त या संगृहीत लाभांश, ब्याज या आय के ऐसे प्रोद्भवनों को तुरंत वितरित करेगा।
2. प्रतिभूतियों या वित्तीय उत्पादों के अभिरक्षा खाते से निकाले जाने, उसमें निक्षेप किए जाने की गतिविधियों के लिए निरंतर उत्तरदायी रहेगा और जब कभी ग्राहक या प्राधिकरण द्वारा अपेक्षा की जाए, लेखापरीक्षा संबंधी संपूर्ण अनुचितन देगा।
3. ग्राहकों के संतोषप्रद रूप में अभिरक्षणीय सेवाओं का निर्वहन करने में समर्थ होने के लिए पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधा स्थापित करेगा और उसे बनाए रखेगा तथा अभिरक्षक की प्रचालन प्रक्रियाएं और क्रिया-तंत्र भली प्रकार से प्रलेखित और प्रचालन मैन्युअल द्वारा समर्थित होंगे।
4. ऐसी पूर्वावधानियां बरतेगा, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि अभिलेख रखने की सततता गुम या नष्ट नहीं हो जाएगी और अभिलेखों का पर्याप्त बैकअप उपलब्ध हो।
5. अभिरक्षा में धारण की गई प्रतिभूतियों का अभिलेख ऐसी रीति में सृजित करेगा और बनाए रखेगा कि किसी कारणवश मूल अभिलेखों की हानि की दशा में, प्रतिभूतियों का पता लगाना या हक संबंधी डुप्लीकेट दस्तावेज अभिप्राप्त करना सुकर हो सके।
6. अन्य अभिरक्षणीय इकाइयों, निक्षेपागारों और समाशोधन संगठनों को ऐसा संपूर्ण सहयोग प्रदान करेगा जो अंतर-अभिरक्षणीय परिनिर्धारणों, प्रतिभूतियों के अंतरण और निधियों के अंतरण के क्षेत्रों में कारबार के संचालन के लिए आवश्यक है।
7. यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अन्य कारबार से, स्टॉफ और क्रिया-तंत्र, दोनों के अनुसार, निर्बंधित संबंध बनाया रखा जाए।

8. अपने ग्राहकों की ऐसी आस्तियों को, जो उसकी अभिरक्षा में है और जिनके लिए वह अभिरक्षक के रूप में कार्य कर रहा है, सुरक्षित रखने और उसके प्रशासन में सम्यक् तत्परता बरतेगा।

ज. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी:

1. रेटिंग प्रक्रिया में वस्तुपरकता और स्वतंत्रता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने की दृष्टि से, हमेशा सम्यक् तत्परता बरतेगा, समुचित सावधानी सुनिश्चित करेगा और स्वतंत्र वृत्तिक विवेक का प्रयोग करेगा।
2. अपने क्रेडिट रेटिंग क्रियाकलापों और अन्य क्रियाकलापों के बीच उचित दूरी बनाए रखेगा।
3. समुचित और विस्तृत रेटिंग अनुसंधानों के समर्थन से, रेटिंग मूल्यांकन का कार्य करने के लिए युक्तियुक्त और पर्याप्त आधार रखेगा। वह अपने विनिश्चयों का समर्थन करने के लिए अभिलेख भी रखेगा।
4. ऐसी उचित रेटिंग प्रक्रिया रखेगा, जिससे संगत और अंतरराष्ट्रीय रेटिंग मानक प्रतिबिंबित होते हैं।
5. अपनी रेटिंग पद्धति, ग्राहकों, उपयोक्ताओं और जनता को प्रकट करेगा।
6. किसी अनुचित प्रतिस्पर्धा में लिप्त नहीं होगा और न ही वह उच्चतर रेटिंग के आश्वासन के आधार पर, किसी अन्य रेटिंग एजेंसी के ग्राहकों को अलग करेगा।
7. ग्राहक की कंपनियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर नज़र रखेगा और समयबद्ध और सही रेटिंग प्राप्त करने के लिए दक्ष और उत्तरदायी प्रणालियों का विकास करेगा। इसके अतिरिक्त, कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऐसे सभी सुसंगत कारकों को भी निकटता से मानीटर करेगी जिससे निर्गमकर्ताओं की साख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
8. ग्राहकों को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, कर्तव्यों और हितों के ऐसे विरोधाभास के संभावित स्रोत प्रकट करेगा, जिनसे उचित, वस्तुपरक और निष्पक्ष रेटिंग करने संबंधी उसकी सक्षमता को हानि पहुंच सकती है। इसके अतिरिक्त, वह यह सुनिश्चित करेगा कि रेटिंग के विश्लेषण में भाग लेने वाली उसकी रेटिंग समिति के किसी सदस्य और उसके ग्राहक के बीच कोई हित-संघर्ष विद्यमान न हो।
9. यह सुनिश्चित करेगा कि किसी विशेषाधिकृत जानकारी का, जिसके अंतर्गत रेटिंग संबंधी विनिश्चयों या परिवर्तनों की जानकारी भी है, दुरुपयोग न हो।
10. अपने आंतरिक प्रचालनों को शासित करने और अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के भीतर और उद्योग के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में समुचित आचरण के अपने मानक अधिकथित करने के लिए, स्वयं अपनी आंतरिक आचार संहिता तैयार करेगा।

झ. डिबेंचर न्यासी:

1. यह सुनिश्चित करेगा कि डिबेंचरधारकों को व्यापक और समयबद्ध रीति में पर्याप्त प्रकटन किए जाएं जिससे कि उन्हें संतुलित और सुविचारित विनिश्चय करने में समर्थ बनाया जा सके।
2. अपने प्रत्येक ग्राहक की सही और पूर्ण पहचान और प्रत्येक ग्राहक की वित्तीय स्थिति स्थापित करने के लिए और उनका अभिलेख रखने के लिए समस्त युक्तिसंगत कदम उठाएगा।
3. ग्राहक की कंपनियों के संबंध में उसके पास उपलब्ध जानकारी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को साझा करेगा।
4. दुर्व्यपदेशन से बचने के युक्तिसंगत प्रयास करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि डिबेंचरधारकों को प्रदान की गई जानकारी भ्रामक न है।

ञ. लेखा संकलनकर्ता:

1. लागू विधियों के अनुसार डाटा की गोपनीयता बनाए रखना सुनिश्चित करेगा।
2. ऐसी किसी जानकारी को साझा नहीं करेगा जो वह ग्राहक से/उसकी ओर से अर्जित करता है।
3. अपने लेखा संकलन क्रियाकलाप और अन्य क्रियाकलापों के बीच उचित दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करेगा।

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./346/2021-22]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 18th October, 2021

International Financial Services Centres Authority Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021

IFSCA/2021-22/GN/REG018.—*In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019; Section 30 read with Section 28C of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992; and Section 25 read with Section 23G of the Depositories Act, 1996, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely: -*

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions

2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings as assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly-
 - (a) “account aggregator” means a person that undertakes the business of providing the service of retrieving or collecting information of its customer pertaining to financial assets and consolidating, organizing and presenting such information to the customer or any other person as per the instructions of the customer;
 - (b) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
 - (c) “associate” shall have the same meaning as assigned to it under clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021;
 - (d) “Authority” or “IFSCA” means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act;
 - (e) “banker to an issue” means a bank carrying out banking related activities in an issue;
 - (f) “Banking Unit” shall have the same meaning as assigned to it under clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020;
 - (g) “broker dealer” means a person having trading rights in any recognised stock exchange and includes a trading member;
 - (h) “clearing member” means a person having clearing and settlement rights in any recognised clearing corporation;
 - (i) “control” shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner, including by holding interest, whether direct or indirect, to the extent of more than fifty percent of voting rights or interest:

Provided that a director or officer of a company shall not be considered to be in control over such company, merely by virtue of holding such position;
 - (j) “credit rating agency” means a person which is engaged in the rating of securities or financial products, or such other products as may be introduced by the Authority from time to time;
 - (k) “custodial services” in relation to financial products means safekeeping of such financial products and providing services incidental thereto, and includes:
 - a. maintaining accounts of such financial products;
 - b. collecting the benefits or rights accruing to the client in respect of such financial products;

- c. keeping the client informed of the actions taken or to be taken by the issuer, having a bearing on the benefits or rights accruing to the client;
 - d. maintaining and reconciling records of the services; and
 - e. undertaking activities relating to issuance of depository receipts in an IFSC;
- (l) “custodian” means a person who carries on or proposes to carry on the business of providing custodial services;
- (m) “debenture trustee” means a trustee appointed in respect of any issue of debentures;
- (n) “depository participant” means a participant of a recognised depository;
- (o) “discretionary portfolio manager” means a portfolio manager who under a contract relating to portfolio management, exercises or may exercise, any degree of discretion as to the investment of funds or management of the portfolio of securities of the client, as the case may be;
- (p) “Foreign Jurisdiction” means a country, other than India, whose securities market regulator is a signatory to International Organization of Securities Commission’s Multilateral Memorandum of Understanding (Appendix A signatories) or a signatory to a bilateral Memorandum of Understanding with the Authority, and which is not identified in the public statement of Financial Action Task Force as:
- (i) a jurisdiction having a strategic Anti-Money Laundering or Combating the Financing of Terrorism deficiencies to which counter measures apply; or
 - (ii) a jurisdiction that has not made sufficient progress in addressing the deficiencies or has not committed to an action plan developed with the Financial Action Task Force to address the deficiencies;
- (q) “inspecting authority” means one or more persons appointed by the Authority to undertake inspection of the books, accounts, records and documents of a capital market intermediary in terms of these regulations;
- (r) “International Financial Services Centre” or “IFSC” shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (s) “investment advice” means advice relating to investing in, purchasing, selling or otherwise dealing in securities or investment products, and advice on investment portfolio containing securities or investment products, whether written, oral or through any other means of communication for the benefit of the client and shall include financial planning:
- Provided that investment advice given through newspaper, magazines, any electronic or broadcasting or telecommunications medium, which is widely available to the public shall not be considered as investment advice for the purpose of these regulations;
- (t) “investment adviser” means a person, who for consideration, is engaged in the business of providing investment advice to clients or other persons or group of persons and includes any person who holds out himself as an investment adviser, by whatever name called;
- (u) “investment banker” means a person who is engaged in the business of issue management either by making arrangements regarding selling, buying or subscribing to securities or acting as manager, consultant, adviser or rendering corporate advisory service in relation to such issue management;
- (v) “issue” means an offer of sale or purchase of securities in an IFSC;
- (w) “key managerial personnel” means the officers or personnel of the intermediary who are members of its core management team and includes members of the management one level below the executive directors of the intermediary, functional heads and includes ‘key managerial personnel’ as defined under the Companies Act, 2013 or any other person whom the intermediary may declare as a key managerial personnel;
- (x) “net worth” means the aggregate value of the paid-up share capital (or capital contribution) and all reserves created out of the profits, securities premium account and debit or credit balance of profit and loss account, after deducting the aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off, as per the balance sheet, but does not include reserves created out of revaluation of assets, write-back of depreciation and amalgamation;

- (y) “person associated with investment advice” shall mean any member, partner, designated partner, officer, director or employee or any sales staff of such investment adviser including any person occupying a similar status or performing a similar function irrespective of the nature of association with the investment adviser who is engaged in providing investment advisory services to the clients of the investment adviser:

Explanation: Individuals such as service relationship managers, client relationship managers, etc., by whatever name called shall be deemed to be persons associated with investment advice, but do not include persons who discharge clerical or office administrative functions where there is no client interface;

- (z) “portfolio manager” means a person, who pursuant to a contract with a client, advises or directs or undertakes on behalf of the client (whether as a discretionary portfolio manager or otherwise) the management or administration of a portfolio of securities or financial products or funds of the client, as the case may be;
- (aa) “principal officer” means a person who is responsible for the overall activities of the intermediary in the IFSC and includes:
- (i) proprietor, in the case of a proprietary concern;
 - (ii) any partner, in the case of a partnership firm;
 - (iii) any designated partner, in the case of a limited liability partnership;
 - (iv) whole time/ executive / managing director, in the case of a body corporate;
 - (v) trustee, in the case of a trust; and
 - (vi) any other person designated as a principal officer;
- (bb) “recognised clearing corporation” means a clearing corporation in IFSC which is recognised by the Authority;
- (cc) “recognised depository” means a depository in IFSC which is recognised by the Authority;
- (dd) “recognised stock exchange” means a stock exchange in IFSC which is recognised by the Authority;
- (ee) “regulations” means the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021, as amended from time to time;
- (ff) “SEBI” means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992;
- (gg) “segregated nominee account provider” means an entity who is registered with a recognised stock exchange or a recognised clearing corporation as segregated nominee service provider to offer the services of segregated nominee account structure;
- (hh) “segregated nominee account structure” means a structure wherein orders of clients may be routed through an eligible segregated nominee account provider for trading on a recognised stock exchange while adhering to the regulatory requirements *inter-alia* relating to identification of end-client, unique client code, order placement at client level, client level margining and position limits;
- (ii) “self-clearing member” means a member of a recognised clearing corporation who is also a broker dealer and clears and settles trades on its own account or on account of its clients only.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act, or the Companies Act, 2013, or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

REGISTRATION

Obligation to seek registration

3. (1) The following categories of intermediaries shall obtain a certificate of registration from the Authority prior to commencement of operations in an IFSC:
- (a) Broker dealers;

Explanation: The broker dealers shall be eligible for registration as segregated nominee account providers with the recognised stock exchanges pursuant to compliance with the requirements specified by such recognised stock exchanges and Authority from time to time.

(b) Clearing members;

Explanation: The clearing members shall be eligible for registration as segregated nominee account providers with the recognised clearing corporations pursuant to compliance with the requirements specified by such recognised clearing corporations and Authority from time to time.

(c) Depository participants;

(d) Investment bankers;

(e) Portfolio managers;

(f) Investment advisers:

Provided that the following persons shall not be required to seek registration as an investment adviser in IFSC:

- (i) any person who gives general comments in good faith in regard to trends in the financial or securities market or the economic situation where such comments do not specify any particular securities or investment product;
- (ii) any insurance agent or insurance brokers recognised or registered or authorised by the Authority, who offers investment advice solely in insurance products;
- (iii) any pension adviser recognised or registered or authorised by the Authority, who offers investment advice solely in pension products;
- (iv) any distributor of mutual funds providing any investment advice to its clients incidental to its primary activity;
- (v) any advocate, solicitor or law firm, who offers investment advice to its clients, incidental to their legal practice;
- (vi) any member of the Institute of Chartered Accountants of India, the Institute of Company Secretaries of India, the Institute of Cost Accountants of India, the Institute of Actuaries of India or any other professional body as may be specified by the Authority, who provides investment advice (either in his individual capacity or as an employee of a firm) to his clients, incidental to his professional service;
- (vii) any broker dealer, portfolio manager or investment banker registered by the Authority under these regulations, who offers investment advice to its clients, incidental to their primary activity;
- (viii) any fund manager, by whatever name called, providing advice to a mutual fund, alternative investment fund or any other fund registered or regulated by the Authority or any other securities market regulator;
- (ix) any person providing investment advice to investors such as:
 - a. central and state governments;
 - b. developmental agencies set up under the aegis of government(s);
 - c. multilateral agencies;
 - d. sovereign wealth funds;
 - e. intermediaries registered with the Authority;
 - f. banks;
 - g. insurance companies;
 - h. pension funds;
 - i. provident funds;
 - j. public financial institutions; and
 - k. any other category of investors, as may be specified by the Authority from time to time.
- (x) any person who provides investment advice exclusively to its associates or group entities;

- (xi) any principal officer and person associated with advice of an investment adviser which is recognised by the Authority under these regulations; and
 - (xii) any other person as may be specified by the Authority;
 - (g) Custodians; and
 - (h) Any other category of intermediaries, as may be specified by the Authority from time to time.
- (2) The following categories of intermediaries may obtain a certification of registration from the Authority for providing financial services in an IFSC:
- (a) Credit rating agencies;
 - (b) Debenture Trustees;
 - (c) Account Aggregators; and
 - (d) Any other category of intermediaries, as may be specified by the Authority from time to time.
- (3) A Banking Unit shall be permitted to function as a banker to an issue in an IFSC, without any additional registration requirement, subject to compliance with the regulatory provisions that may be specified by the Authority from time to time.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (3), the Authority may specify norms for authorization of capital market intermediaries for operating or providing services in an IFSC from time to time.

Application for registration

4. (1) An entity desirous of obtaining a certificate of registration as a capital market intermediary in IFSC shall submit an application form in the format provided in Part I of Schedule I to the Authority along with the application fees as specified by the Authority:

Provided that the applicant seeking registration to act as a broker dealer or clearing member or depository participant shall make the application along with such additional information through the recognised stock exchange or recognised clearing corporation or recognised depository respectively.

Explanation: An applicant may apply for multiple registrations in the same application form.

- (2) The recognised stock exchange, the recognised clearing corporation, the recognised depository, as the case may be, shall examine the eligibility of the applicant in terms of these regulations, relevant Acts, regulations and the rules, bye-laws of the concerned stock exchange, clearing corporation, depository and forward the application with the application fees to the Authority along with its recommendation as early as possible but not later than thirty days of receipt of the complete application with the specified application fees.
- (3) Subject to approval by the concerned recognised stock exchange, and without any requirement of a separate certificate of registration, -
- (a) a registered clearing member may be permitted to act as a broker dealer in a recognised stock exchange; and
 - (b) a registered broker dealer may be permitted to operate in more than one recognised stock exchange.
- (4) Subject to approval by the concerned recognised clearing corporation, and without any requirement of a separate certificate of registration, -
- (a) a registered broker dealer may be permitted to act as a clearing member in a recognised clearing corporation; and
 - (b) a registered clearing member may be permitted to operate in more than one recognised clearing corporation.
- (5) Subject to approval by the concerned recognised depository, a registered depository participant may be permitted to act as a participant of another recognised depository without obtaining separate certificate of registration.
- (6) The provisions of these regulations, as applicable to the grant of registration shall also apply to an application for renewal of registration of a capital market intermediary, wherever applicable.

Legal form of the applicant

5. (1) A capital market intermediary seeking registration with the Authority shall be required to be present in an IFSC by establishing a branch or forming a company or limited liability partnership or body corporate or partnership firm or proprietorship firm or any other form as may be permitted by the Authority:

Provided that the branch structure is permitted only for an intermediary which is already registered or regulated in India or a Foreign Jurisdiction for conducting similar activities:

Provided further that an applicant already licensed, registered or authorised with the Authority in any other capacity can also seek registration under these regulations.

- (2) A capital market intermediary operating as branch structure in an IFSC shall comply with the following conditions:

- (a) The entity shall adequately ring fence the operations of the branch in IFSC;
- (b) The entity shall comply with the minimum net worth requirements specified in these regulations for its activities in IFSC which may be maintained at the parent level:

Explanation: The minimum net worth requirements for its activities in IFSC shall be separate in addition to the minimum net worth requirements applicable for other activities outside IFSC;

- (c) The entity shall maintain such minimum capital as may be specified by the Authority, which shall be earmarked for IFSC and may be held in the jurisdiction of its incorporation;
- (d) A custodian operating as branch in IFSC shall ensure financial segregation by allocating the amount specified by IFSCA towards its branch in IFSC and shall submit a declaration to the Authority in this regard;
- (e) A broker dealer / a clearing member of foreign entities shall comply with additional requirements including base minimum capital specified by IFSCA; and
- (f) Any other requirements as may be specified by the Authority from time to time.

Net worth requirements

6. An entity seeking registration as a capital market intermediary shall comply with the net worth requirements as specified in Schedule II of these regulations or such other amount as may be specified by the Authority, and the same shall be maintained at all times:

Provided that an entity operating as a capital market intermediary in multiple categories shall maintain the highest of the applicable minimum net worth requirements unless a higher amount is specified by the Authority.

Fit and proper requirements

7. (1) A capital market intermediary shall ensure that the entity and its principal officers, directors/ partners/ designated partners, key managerial personnel and controlling shareholders are fit and proper persons, at all times.

- (2) For the purpose of sub-regulation (1), a person shall be deemed to be a fit and proper person if, -

- (a) such person has a record of fairness and integrity, including but not limited to-
- (i) financial integrity;
- (ii) good reputation and character; and
- (iii) honesty.
- (b) such person has not incurred any of the following disqualifications –
- (i) the person has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude or any economic offence or any offence against securities laws;
- (ii) a recovery proceeding has been initiated against the person by a financial regulatory authority and is pending;
- (iii) an order for winding up has been passed against the person for malfeasance;
- (iv) the person has been declared insolvent and not discharged;

- (v) an order, restraining, prohibiting or debarring the person from accessing or dealing in financial products or financial services, has been passed by any regulatory authority, and a period of three years from the date of the expiry of the period specified in the order has not elapsed;
- (vi) any other order against the person, which has a bearing on the securities market, has been passed by the Authority or any other regulatory authority, and a period of three years from the date of the order has not elapsed;
- (vii) the person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
- (viii) the person is financially not sound or has been categorized as a wilful defaulter;
- (ix) the person has been declared a fugitive economic offender; or
- (x) any other disqualification as may be specified by the Authority.

Registration requirements

8. (1) The Authority shall take into account all matters which it deems relevant for grant of registration to a capital market intermediary and in particular the following, namely, whether:
- a) the applicant or its principal officer has adequate past experience in the activities as a capital market intermediary for which it is desirous of obtaining a certificate of registration or related activities;
 - b) the applicant has the necessary infrastructure like adequate office space, equipment, communication facilities and manpower to effectively discharge its activities;
 - c) the applicant satisfies the eligibility criteria, net worth and fund allocation requirements, if applicable, as specified in these regulations;
 - d) the applicant has satisfactory financial credit worthiness;
 - e) the applicant and its principal officers, directors/ partners/ designated partners, key managerial personnel and controlling shareholders are fit and proper persons;
 - f) the applicant or any of its associates have in the past been refused certificate by the Authority and if so, the ground for such refusal; and
 - g) the applicant or its principal officer is subject to any proceeding for breach of law by the Authority.
- (2) In addition to sub-regulation (1), in respect of an application for registration as a portfolio manager or an investment adviser, the principal officer of the applicant shall have:
- (a) A professional qualification or post-graduate degree or post graduate diploma (minimum two years in duration) in finance, law, accountancy, business management, commerce, economics, capital market, banking, insurance or actuarial science from a university or an institution recognised by the Central Government or any State Government or a recognised foreign university or institution or association or a CFA Charter from the CFA Institute; or a certification from any organization or institution or association or stock exchange which is recognised/ accredited by IFSCA or a regulator in India or Foreign Jurisdiction; and
 - (b) An experience of at least five years in related activities in the securities market or financial products including in a portfolio manager, broker dealer, investment advisor, research analyst or fund management.
- (3) In addition to sub-regulations (1) and (2), in respect of an application for registration as a portfolio manager, the applicant shall have in its employment at least one person with the following qualifications:
- (a) a graduate from a university or an institution recognised by the Central Government or any State Government or a foreign university or qualification/ certification as mentioned in clause (a) of sub-regulation (2); and
 - (b) experience of at least two years in related activities in the securities market or financial products:
- Provided that any employee of the portfolio manager who has decision making authority related to fund management shall have the same minimum qualifications/certification and experience as specified for the principal officer.
- (4) In addition to sub-regulations (1) and (2), in respect of an application for registration as an investment adviser, all persons associated with investment advice of the applicant shall have:

- (a) a graduate from a university or an institution recognised by the Central Government or any State Government or a foreign university or qualification / certification as mentioned in clause (a) of sub-regulation (2); and
- (b) experience of at least two years in related activities in the securities market or financial products.

Simplified application

9. (1) Notwithstanding anything contained in this Chapter, an entity registered and regulated in India or a Foreign Jurisdiction having valid registration may either through its branch or subsidiary apply for registration under the same category with a simplified application form specified in Part II of Schedule I, along with the application fees specified by the Authority, until March 31, 2022:

Provided that such entity shall comply with the fit and proper and net worth requirements specified in these regulations.

- (2) The entity registered under sub-regulation (1) would be required to comply with all the provisions of this Chapter for continuing to operate as a capital market intermediary, within a period of 1 year from the date of registration.

Grant of registration

10. (1) The Authority may, after considering the application and on being satisfied that the applicant has complied with the conditions laid down in these regulations and is eligible to act as a capital market intermediary, and upon receipt of registration fees (as specified by the Authority), grant registration to the applicant subject to the conditions as the Authority may deem fit.

- (2) If the Authority is of the opinion that the registration cannot be granted, it shall communicate the deficiencies to the Applicant giving it thirty days' time to rectify them.

- (3) If the Applicant fails to rectify such deficiencies to the satisfaction of the Authority within the specified time, the Authority may refuse to grant registration and shall communicate the same to the Applicant, giving reasons for such refusal:

Provided that no such refusal shall be made by the Authority without giving the Applicant an opportunity to make written submissions on the grounds on which the registration is proposed to be refused.

- (4) The capital market intermediary shall comply with any other condition as may be imposed by the Authority as it deems fit in the interest of the investors or orderly development of the securities market or for regulating the working of the capital market intermediary, in an IFSC.

- (5) The registration granted to a capital market intermediary may be withdrawn by the Authority only after giving a reasonable opportunity of being heard.

Period of validity

11. The certificate of registration of a capital market intermediary shall be valid for such period as may be specified by the Authority, unless it is suspended or cancelled by the Authority.

Surrender of registration

12. A registered capital market intermediary may file an application with the Authority for surrender of its registration:

Provided that a broker dealer or clearing member or depository participant shall make such application through the recognised stock exchange or recognised clearing corporation or recognised depository respectively.

CHAPTER III

GENERAL OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

Code of Conduct

13. Every capital market intermediary shall abide by the Code of Conduct as specified in Schedule III.

Maintenance of books of account, records and other documents

14. (1) Every capital market intermediary shall maintain and preserve the following books of accounts, records and documents, in electronic retrieval form for a minimum of ten years, namely: -

- (a) a copy of the balance sheet at the end of each accounting period;

- (b) a copy of profit and loss account for each accounting period;
 - (c) a copy of the auditor's report on the accounts for each accounting period;
 - (d) a statement of net worth for each quarter;
 - (e) documentation relating to compliance with AML and CFT guidelines;
 - (f) documents relating to account opening of each client and any power of attorney or signature authority forms of the clients;
 - (g) relevant records and documents relating to its activities in capital markets; and
 - (h) such other books of accounts, records and documents as may be specified by the Authority from time to time.
- (2) In relation to a capital market intermediary not being a body corporate, it shall maintain the following books of accounts, records and documents, in electronic retrieval form for a minimum of ten years, namely, -
- (a) all sums of money received and expended;
 - (b) its assets and liabilities;
 - (c) a statement of net worth for each quarter;
 - (d) documentation relating to compliance with AML and CFT guidelines;
 - (e) documents relating to account opening of each client and any power of attorney or signature authority forms of the clients;
 - (f) relevant records and documents relating to its activities in capital markets; and
 - (g) such other books of accounts, record and documents as may be specified by the Authority from time to time.

Information to the Authority

15. (1) A capital market intermediary shall furnish to the Authority any material change in the information or particulars previously furnished along with the application, which has a bearing on the certificate of registration granted to it.
- (2) A registered capital market intermediary shall furnish such reports, returns, statements and particulars, in such manner, interval and form, as may be specified by the Authority from time to time.

Redressal of grievances

16. (1) A registered capital market intermediary shall take adequate steps for redressal of grievances of the investors within one month of the date of the receipt of the complaint.
- (2) The intermediary shall maintain records regarding investor grievances received by it and redressal of such grievances.

Business Continuity Plan

17. (1) A registered capital market intermediary shall maintain a business continuity plan identifying procedures relating to an emergency or significant business disruption.
- (2) A registered capital market intermediary shall update its business continuity plan in the event of any material change to operations, structure, business, or location.
- (3) A registered capital market intermediary shall conduct an annual review of its business continuity plan.

Cyber Security and Cyber Resilience

18. A registered capital market intermediary shall have robust cyber security and cyber resilience framework in accordance with the requirements as may be specified by the Authority from time to time.

Risk Management and Internal Controls

19. (1) A registered capital market intermediary shall have a sound risk management system for comprehensively managing risks.
- (2) A registered capital market intermediary shall have adequate internal procedures and controls, given the types of business in which it engages (including any activities which have been outsourced) with the aim of protecting the interests of clients and their assets and ensuring proper management of risk.

Change in control

20. (1) A registered capital market intermediary operating in the form of branch in an IFSC shall intimate the Authority and the market infrastructure institution of which it is a member (if applicable), within fifteen days of any direct or indirect change in control of the intermediary.
- (2) A registered capital market intermediary incorporated in an IFSC shall seek prior approval of the Authority in case of any direct or indirect change in control of the intermediary.

Payment of Fees

21. A registered capital market intermediary shall pay the fees pertaining to annual fees, turnover based fees and any other fees as may be specified by the Authority or the market infrastructure institutions from time to time.

Annual Audit

22. (1) A registered capital market intermediary shall have an annual audit conducted in respect of compliance with these regulations by a member of the Institute of Chartered Accountants of India or a member of the Institute of Company Secretaries of India or any person authorised to conduct audit in a Foreign Jurisdiction.
- (2) A registered capital market intermediary shall have additional audits and submit such reports as may be specified by the Authority from time to time.

Appointment of Compliance Officer

23. A registered capital market intermediary shall appoint a person as its compliance officer for ensuring compliance with the regulatory requirements.

CHAPTER IV**SPECIFIC OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES****Broker dealers and Clearing members**

24. (1) A broker dealer or a clearing member may have the following categories as clients:
- a person resident outside India;
 - a non-resident Indian;
 - a non-individual resident in India who is eligible under FEMA to invest funds offshore, to the extent of outward investment permitted; and
 - an individual resident in India who is eligible under FEMA to invest funds offshore, to the extent allowed in the Liberalized Remittance Scheme of Reserve Bank of India.
- (2) A broker dealer shall ensure compliance with the applicable laws, including bye-laws, rules and regulations specified by the recognised stock exchange.
- (3) A clearing member shall ensure compliance with the applicable laws, including bye-laws, rules and regulations specified by the recognised clearing corporation.

Depository Participants

25. (1) A depository participant may have the following categories as clients:
- a person resident outside India;
 - a non-resident Indian;
 - a non-individual resident in India who is eligible under FEMA to invest funds offshore, to the extent of outward investment permitted; and
 - an individual resident in India who is eligible under FEMA to invest funds offshore, to the extent allowed in the Liberalized Remittance Scheme of Reserve Bank of India.
- (2) A depository participant shall ensure compliance with the applicable laws, including bye-laws, rules and regulations specified by the recognised depository.
- (3) Separate accounts shall be opened by every depository participant in the name of each of the beneficial owners and the securities of each beneficial owner shall be segregated, and shall not be mixed up with the securities of other beneficial owners or with the participant's own securities.
- (4) A depository participant shall have adequate mechanisms for the purpose of reviewing, monitoring and evaluating its internal accounting controls and systems.

- (5) Where the records are maintained in electronic form, a depository participant shall ensure that the integrity of the data processing system is maintained at all times.
- (6) A depository participant shall reconcile its records with every depository in which it is a participant, on a daily basis.

Investment bankers

26. (1) The responsibilities of a lead investment banker relating to issue management shall be clearly defined and a statement specifying such responsibilities shall be furnished to the Authority at least one month before the opening of the issue for subscription.

(2) Where there are more than one lead investment bankers to the issue, the statement as specified in sub-regulation (1) shall clearly demarcate the responsibilities of each of such lead investment bankers.

27. (1) An investment banker shall enter into an agreement with the issuer of securities specifying the roles and responsibilities of the investment banker in the issue.

(2) An investment banker shall not undertake any activity, except for marketing of the issue or offer, if the investment banker is a promoter or an associate of the issuer of securities or of any person making an offer to sell or purchase securities in terms of any regulations made by the Authority.

Explanation: For the purposes of this regulation, an investment banker shall be deemed to be an “associate of the issuer or person” if:

(a) either of them controls, directly or indirectly through its subsidiary or holding company, not less than fifteen per cent. of the voting rights in the other; or

(b) either of them, directly or indirectly, by itself or in combination with other persons, exercises control over the other; or

(c) there is a common director, excluding nominee director, amongst the issuer, its subsidiary or holding company and the investment banker.

(3) No investment banker or any of its principal officers, directors, partner or manager shall either on their respective accounts or through their associates or relatives enter into any transaction in securities of issuer on the basis of unpublished price sensitive information obtained by them in the course of any professional assignment.

28. An investment banker shall submit to the Authority complete particulars of any transaction for acquisition of securities of any body corporate whose issue is being managed by that investment banker within fifteen days from the date of entering into such transaction.

29. (1) An investment banker may act as an underwriter of an issue in an IFSC.

(2) An investment banker acting as an underwriter, shall enter into an agreement with the issuer of securities, on whose behalf it is acting as an underwriter, which shall have the understanding in relation to amount of underwriting obligations and commission, allocation of duties and responsibilities, timelines and other relevant details.

(3) An underwriter shall not derive any direct or indirect benefit from underwriting the issue except commission or brokerage payable under the agreement for underwriting.

(4) At any point of time, the total underwriting obligations under all the agreements shall not exceed twenty times the net worth of the investment banker.

Portfolio managers

30. A portfolio manager may have the following categories as clients:

(a) a person resident outside India;

(b) a non-resident Indian;

(c) a non-individual resident in India who is eligible under FEMA to invest funds offshore, to the extent of outward investment permitted; and

(d) an individual resident in India who is eligible under FEMA to invest funds offshore, to the extent allowed in the Liberalized Remittance Scheme of Reserve Bank of India.

31. A portfolio manager operating in an IFSC shall be permitted to invest in securities and financial products in an IFSC, India or Foreign Jurisdiction:

Provided that a discretionary portfolio manager shall invest in the securities listed or traded on the stock exchanges, money market instruments, units of mutual funds and other financial products as specified by the Authority from time to time.

32. (1) A portfolio manager shall provide a disclosure document to the client, prior to entering into an agreement with the client.
- (2) The portfolio manager shall ensure that a copy of disclosure document is available on the website of the portfolio manager.
- (3) The disclosure document referred to in sub-regulation (1) shall *inter alia* contain details pertaining to the services offered, risk factors, client representation, financial performance, performance of portfolio manager, auditor observations, nature of expenses, taxation, investor grievance redressal mechanism and litigations by the regulatory authorities against the portfolio manager and its principal officers, directors/ partners/ designated partners and key managerial personnel.
33. (1) A portfolio manager shall enter into a written agreement with the client that clearly defines the *inter se* relationship and sets out their mutual rights, liabilities and obligations relating to management of portfolio including details pertaining to investment objectives, risk factors, terms of fees, period of the contract, etc.
- (2) Notwithstanding anything contained in the agreement between the portfolio manager and the client, the funds or securities can be withdrawn by the client before the maturity of the contract under the following circumstances, namely-
- (a) voluntary or compulsory termination of portfolio management services by the portfolio manager or the client; or
- (b) suspension or cancellation of the certificate of registration of the portfolio manager by the Authority; or
- (c) bankruptcy or liquidation of the portfolio manager.
34. (1) A portfolio manager shall periodically furnish a report to the client in terms of the agreement between the portfolio manager and the client which shall *inter alia* contain details relating to composition and value of the portfolio, transactions undertaken during the period of the report, beneficial interest received during the period of the report, expenses incurred in managing the portfolio and details of risk relating to the securities recommended by the portfolio manager for investment or disinvestment.
- (2) The report referred to in sub-regulation (1) may be made available online with restricted access to each client.
35. The portfolio manager shall charge an agreed fee from the clients for rendering portfolio management services without guaranteeing or assuring, either directly or indirectly, any return and the fee so charged may be a fixed fee or a return based fee or a combination of both.
36. A discretionary portfolio manager shall individually and independently manage the funds of the client in accordance with the needs of the client, in a manner which does not partake the character of a mutual fund, whereas a non-discretionary portfolio manager shall manage the funds of the client in accordance with the directions of the client.
37. (1) A portfolio manager shall not accept from the client, funds or securities worth less than USD 70,000.
- (2) A portfolio manager shall keep the funds of all clients in a separate account to be maintained by it in a Banking Unit.
- (3) A portfolio manager shall segregate each client's holding in securities in separate accounts.
- (4) The funds received from the clients, investments or disinvestments, all the credits to the account of the client like interest, dividend, bonus or any other beneficial interest received on the investment and debit for expenses, if any, shall be properly reflected in the client's accounts.
- (5) A portfolio manager shall act in a fiduciary capacity in respect of the client's funds and shall not derive any direct or indirect benefit out of the client's funds or securities.
- (6) A portfolio manager shall not borrow funds or securities on behalf of the client.
38. (1) The money or securities accepted by the portfolio manager shall be invested or managed in terms of the agreement between the portfolio manager and the client.
- (2) The portfolio manager shall not leverage the portfolio of its clients for investment in derivatives, unless express consent has been obtained from its clients.

- (3) The portfolio manager shall not while dealing with clients' funds indulge in speculative transactions i.e., it shall not enter into any transaction for purchase or sale of any security which is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of security except the transactions in derivatives.
 - (4) A portfolio manager shall, ordinarily purchase or sell securities separately for each client. However, in the event of aggregation of purchases or sales for economy of scale, *inter se* allocation shall be done on a *pro rata* basis and at weighted average price of the day's transactions. The portfolio manager shall not keep any open position in respect of allocation of sales or purchases effected in a day.
 - (5) A portfolio manager shall segregate each clients' funds and portfolio of securities and keep them separately from its own funds and securities and be responsible for safekeeping of clients' funds and securities.
 - (6) The portfolio manager shall not hold the securities belonging to the portfolio account, in its own name on behalf of its clients either by virtue of contract with clients or otherwise.
 - (7) A portfolio manager (except those providing only advisory services) shall appoint a custodian in respect of securities managed or administered by it.
39. The portfolio manager shall ensure that any person or entity involved in the distribution of its services is carrying out the distribution activities in compliance with these regulations and circulars issued thereunder from time to time.
 40. The portfolio manager shall report its performance uniformly in the disclosures to the Authority, marketing materials and reports to the clients and on its website.
 41. The portfolio accounts of a portfolio manager shall be audited annually and a copy of the certificate shall be given to the client.
 42. A portfolio manager shall disclose a change in the identity of the Principal Officer to the Authority and the clients within seven working days of effecting the change.

Investment advisers

43. An investment adviser may have the following categories as clients:
 - (a) a person resident outside India;
 - (b) a non-resident Indian;
 - (c) a non-individual resident in India who is eligible under FEMA to invest funds offshore, to the extent of outward investment permitted; and
 - (d) an individual resident in India who is eligible under FEMA to invest funds offshore, to the extent allowed in the Liberalized Remittance Scheme of Reserve Bank of India.
44. An investment adviser shall disclose to a prospective client, all material information about itself including its business, disciplinary history, the terms and conditions on which it offers advisory services, affiliations with other intermediaries and such other information so as to enable the client to take an informed decision on whether or not to avail its advisory services.
45. An investment adviser shall make the following disclosures to its clients: -
 - (a) its holding or position, if any, in the financial products or securities which are subject matter of advice;
 - (b) any potential or actual conflict of interest arising from any connection to or association with any issuer of products/securities;
 - (c) all material facts relating to the key features of the products or securities, particularly performance track record; and
 - (d) warnings, disclaimers in documents and advertising materials relating to an investment product which it is recommending to the client.
46. (1) An investment adviser shall act in a fiduciary capacity towards its clients and shall disclose all conflicts of interest as and when they arise.
 - (2) An investment adviser shall not receive any consideration by way of remuneration or compensation or in any other form from any person other than the client being advised, in respect of the underlying products or securities for which advice is provided.

- (3) An investment adviser shall maintain an arm's-length relationship between its activities as an investment adviser and other activities.
- (4) An investment adviser shall not enter into transactions on its own account which is contrary to the advice given to its clients for a period of 15 days from the day of such advice:
- Provided that during the period of 15 days, if the investment adviser is of the opinion that the situation has changed, then it may enter into such a transaction on its own account after giving such revised assessment to the client at least 24 hours in advance of entering into such transaction.
- (5) An investment adviser shall not act on its own account, knowingly sell securities or investment products to or purchase securities or investment products from a client.
47. An investment adviser shall ensure that, for the purposes of risk profiling, -
- it obtains such information from the client as is necessary for the purpose of giving investment advice;
 - it has a process for assessing the risk a client is willing and able to take;
 - risk profile of the client is communicated to the client after completion of risk assessment; and
 - the information provided by clients and their risk assessment is updated periodically.
48. An investment adviser shall ensure that all investments on which investment advice is provided is suitable to the risk profile of the client and is consistent with the client's investment objectives and financial position.
49. (1) An investment adviser shall have client level segregation for investment advisory and distribution services.
- (2) An investment adviser shall maintain an arm's length relationship between its activities as investment adviser and distributor by providing advisory services through a separately identifiable department or division.
- (3) An individual investment adviser shall not provide distribution services.
50. (1) An investment adviser may provide implementation services to its advisory clients in securities market:
- Provided that the investment adviser shall ensure the following:
- the potential conflicts of interest, if any, are adequately disclosed to its clients; and
 - the fee charged, if any, for the implementation services is pursuant to an agreement with its clients and disclosed in a transparent manner.
- (2) An investment adviser shall provide implementation services to its advisory clients only through direct schemes/products.
- (3) The client shall not be under any obligation to avail implementation services offered by the investment adviser.

Custodians

51. (1) A custodian shall separate and segregate its custodian activities from all other activities.
- A custodian shall have adequate mechanisms for the purposes of reviewing, monitoring and evaluating the custodian's controls, systems, procedures and safeguards.
 - A custodian shall enter into an agreement with each client and the agreement shall provide details regarding the various circumstances relating to custody of the securities or financial products or funds.
 - A custodian shall have adequate internal controls to prevent any manipulation of records and documents and to protect the records from theft and natural hazard.

Credit rating agencies

52. (1) A credit rating agency shall enter into a written agreement with each client whose securities it proposes to rate, and every such agreement shall include the right and liabilities of each party and fee to be charged by the credit rating agency.
- (2) The client shall agree to disclose, -
- the rating assigned to the client's securities listed or proposed to be listed in an IFSC by any credit rating agency during the last three years; and
 - any rating given in respect of the client's securities listed in an IFSC by any other credit rating agency, which has not been accepted by the client.

53. The client shall provide all co-operation required for arriving at a true and accurate rating of the securities or financial products by the credit rating agency.
54. The credit rating agency shall disclose to the client the rating assigned to the securities irrespective of whether the rating is or is not accepted by the client.
55. (1) A credit rating agency shall, during the lifetime of securities rated by it, continuously monitor the rating of such securities and carry out periodic reviews of the rating, unless the rating is withdrawn.
 - (2) A credit rating agency shall disseminate information regarding change in ratings promptly through press releases and simultaneously to the recognised stock exchanges if the securities are listed.
 - (3) A credit rating agency shall not withdraw a rating so long as the obligations under the security rated by it are outstanding, except where the company whose security is rated is wound up or merged or amalgamated with another company, or as may be specified by the Authority from time to time.
56. (1) A credit rating agency shall make public the definitions of the concerned rating, along with the symbol and also state that the ratings do not constitute recommendations to buy, hold or sell any securities.
 - (2) A credit rating agency shall make available to the general public information relating to the rationale of the ratings, which shall cover an analysis of the various factors justifying a favourable assessment, as well as factors constituting a risk.
57. (1) A credit rating agency shall specify the rating process and file a copy of the same to the Authority for record.
 - (2) A credit rating agency shall have professional rating committees, comprising members who are adequately qualified and knowledgeable to assign a rating, and all rating decisions shall be taken by the rating committee.
58. A credit rating agency, shall, while rating a security or a financial product, exercise due diligence in order to ensure that the rating given by the credit rating agency is fair and appropriate.
59. A credit rating agency shall not rate securities issued by it or by any entity likely to have conflict of interest in any manner other than as remuneration for credit rating.
60. A credit rating agency shall have appropriate procedures and systems for preventing trading on the basis of unpublished price sensitive information obtained by them in the course of any professional assignment.

Debenture trustees

61. (1) A debenture trustee shall enter into an agreement with the issuer before the opening of the subscription list for issue of debentures, which shall have the understanding in relation to allocation of duties and responsibilities and other relevant details.
 - (2) A person shall not be appointed as a debenture trustee, in cases where the debenture trustee is an associate of the issuer or is likely to have conflict of interest in any manner other than as remuneration to the debenture trustee.
 - (3) A debenture trustee shall ensure that:
 - (a) It accepts the trust deed which shall contain details on standard information pertaining to the debt issue and details specific to the particular debt issue and shall not contain covenants prejudicial to the interest of the debenture holders;
 - (b) The prospectus does not contain any matter which is inconsistent with the terms of the issue of debentures or with the trust deed;
 - (c) It calls for periodical reports/ performance report from the issuer company within seven days of the relevant board meeting or within forty five days of the respective quarter whichever is earlier;
 - (d) It calls for reports on the utilization of funds raised by the issue of debentures;
 - (e) It communicates to the debenture holder defaults, if any, in respect of the payment of interest or redemption of debentures and actions taken thereunder;
 - (f) It appoints a nominee director on the board of the issuer in the event of two consecutive defaults in payment of interest or default in creation of security or default in redemption of debentures. The issuer shall be obliged to provide all requisite support in this regard;
 - (g) The issuer does not breach the terms of the issue of debentures or covenants of the trust deed and take reasonable steps to remedy such breach and it informs the debenture holders immediately of any such breach;

- (h) The issuer satisfies the conditions, if any, regarding creation of security for the debentures, debenture redemption reserve and recovery expense fund;
 - (i) The assets of the issuer and of the guarantors are sufficient to discharge the interest and principal amount at all times and such assets are free from any other encumbrances except those which are specifically agreed to by the debenture holders;
 - (j) It shall perform all acts necessary for the enforcement of the security and for protection of the interest of the debenture holders;
 - (k) It shall call for reports on the utilization of funds raised by the issue of debentures;
 - (l) It takes steps to convene a meeting of debenture holders as and when required;
 - (m) The debentures have been converted or redeemed in accordance with the terms of the issue of debentures;
 - (n) It takes possession of the trust property in accordance with the terms of the trust deed;
 - (o) The debentures have been credited in the demat accounts of the debenture holders;
 - (p) Debenture holders have been paid the interest due on the debentures and the monies due to them on the date of redemption of the debenture;
 - (q) It informs the Authority immediately of any breach of trust deed or provision of any applicable laws;
 - (r) It obtains reports from the lead bank regarding the progress of the project; and
 - (s) It may inspect books of account, record, registers of the issuer and trust property to the extent necessary for discharging its obligations.
- (4) Before creating a charge on the security for the debentures, the debenture trustee shall exercise independent due diligence to ensure that such security is free from any encumbrance or that it has obtained the necessary consent from other charge-holders if the security has an existing charge, in the manner as may be specified by the Authority from time to time.
- (5) No debenture trustee shall relinquish its assignment as debenture trustee in respect of the debenture issue of any issuer, unless and until another debenture trustee is appointed in its place by the issuer.

Account Aggregators

62. (1) The operations of an account aggregator shall be technologically driven.
- (2) An account aggregator shall have adequate systems and controls to ensure that the integrity of the data and Information Technology systems is maintained at all times.
 - (3) An account aggregator shall provide account aggregation services after appropriate agreements or authorisations, as applicable.
 - (4) An account aggregator shall separate and segregate its account aggregation activities from all other activities.

CHAPTER V

CROSS-BORDER BUSINESS

63. (1) The provisions of this chapter shall apply to a registered capital market intermediary incorporated in an IFSC, and shall not apply to entities incorporated outside IFSC and operating in an IFSC in the form of branch.
- (2) A registered capital market intermediary may undertake cross-border business in capital markets in India or a Foreign Jurisdiction, subject to the following conditions:
- (a) The intermediary shall ensure that its cross-border business activities in capital markets are in compliance with the applicable regulatory requirements of the other jurisdiction;
 - (b) The intermediary shall ring fence its IFSC related capital market activities with its cross-border operations;
 - (c) The intermediary shall ensure that it has appropriate risk management and internal controls to ensure that the interests of its clients are adequately protected;
 - (d) The intermediary shall ensure that true, correct and adequate disclosures (including risks) are made to its clients regarding its cross-border business.

- (e) The intermediary shall perform KYC norms, client due diligence, Anti-Money Laundering (AML) Standards and Combating the Financing of Terrorism (CFT) in accordance with the following, -
 - i. Applicable norms in IFSC in respect of clients onboarded in IFSC; and
 - ii. Applicable norms in IFSC or other jurisdiction in respect of clients onboarded in other jurisdiction.
 - (f) The intermediary shall maintain records (including details of client, KYC, details of transactions etc.) of its cross-border activities in electronic retrieval form for a period of at least ten years and the same shall be made available to the Authority as and when required;
 - (g) The intermediary shall have policies and procedures pertaining to handling of complaints in respect of its cross-border operations;
 - (h) The intermediary shall immediately inform the Authority in case any action is taken against the intermediary for its cross-border activities by any financial sector regulator; and
 - (i) The intermediary shall furnish to the Authority such reports as may be specified by the Authority from time to time.
- (3) A registered capital market intermediary undertaking cross-border business operations shall submit an annual certification from an auditor to the Authority that the conditions specified in this Chapter and the regulatory requirements specified by the Authority from time to time, have been complied with, within 90 days of end of each financial year.
- (4) In the event that the cross-border activities of a registered capital market intermediary raise any supervisory concern, the Authority may require the intermediary to put in place additional measures to address the supervisory concern or to discontinue the cross-border business activities.
- (5) A registered capital market intermediary shall abide by such additional requirements as may be specified by the Authority from time to time.

CHAPTER VI INSPECTION

Inspection

64. (1) The Authority may *suo motu* or upon receipt of information or complaint at any time appoint one or more persons as inspecting authority to undertake the inspection of the books, accounts, records, and documents of a capital market intermediary, for any purpose, including the purposes as specified under sub-regulation (2).
- (2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may include, -
- (a) to ensure that the books of account, records and documents are being maintained in the manner as required under these regulations;
 - (b) to ensure that the provisions of the Act, the regulations and circulars made thereunder, are complied with;
 - (c) to ascertain whether adequate internal control systems, procedures and safeguards have been established or are being followed by the capital market intermediary to fulfil its obligations under these regulations;
 - (d) to ascertain whether any circumstances exist which would render the intermediary unfit or ineligible;
 - (e) to inquire into the complaints received from the investors, clients, other market participants, or any other person on any matter having a bearing on the activities of the intermediary; and
 - (f) to inquire *suo motu* into such matters as may be deemed fit in the interest of investors or the capital market in IFSC.
- (3) Before undertaking an inspection under sub-regulation (1), the inspecting authority shall give a notice to the capital market intermediary:
- Provided that where the inspecting authority is satisfied that in the interest of the investors no such notice should be given, it may, for reasons to be recorded in writing, dispense with such notice.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1), (2) and (3), the recognised stock exchange, recognised clearing corporation and recognised depository may conduct inspection of registered broker

dealer, registered clearing member and registered depository participant respectively, in accordance with their respective bye-laws.

- (5) The Authority and the relevant market infrastructure institution may conduct joint inspection of a capital market intermediary.

Obligations of capital market intermediary on inspection

65. (1) Where an inspection of a capital market intermediary is undertaken by the Authority, such capital market intermediary and every principal officer, proprietor, partner, designated partner, trustee, director, chairperson, officer, employee and any agent of the intermediary shall provide all assistance and cooperate with the inspection authority and shall furnish books of accounts, records and documents to the inspection authority with such statements and information relating to its activities within such time as decided by the inspection authority.
- (2) The capital market intermediary shall give all assistance as may be required in connection with the inspection and allow the inspecting authority to have reasonable access to its premises and extend reasonable facility for examining any books of accounts, records and documents in its possession, and also provide copies of records or documents or other material which in the opinion of the inspecting authority are relevant for the purposes of the inspection.

Appointment of auditor or valuer

66. (1) The Authority may appoint an auditor to inspect the books of account, records, documents infrastructures, systems and procedures or affairs of a capital market intermediary:
- Provided that the auditor so appointed shall have the same powers of an inspecting authority:
- Provided further that a capital market intermediary and its employees shall have the same obligations as specified in regulation 65.
- (2) The Authority may appoint a valuer or direct the capital market intermediary to appoint a valuer, if considered necessary.
- (3) The Authority shall be entitled to recover expenses relating to auditor and valuer from the capital market intermediary.

Submission of report

67. The inspecting authority shall submit an inspection report including interim reports to the Authority, and the Authority may take such action as it may deem fit and appropriate.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

Suspension, cancellation of registration or any other actions

68. (1) The Authority may take such action as deemed fit, including suspension or cancellation of registration, against a capital market intermediary if it:
- (a) fails to comply with any conditions subject to which a certificate of registration has been granted; or
- (b) contravenes any of the provisions of the Act or rules or regulations or circulars or guidelines or directions or instructions issued thereunder.
- (2) Without prejudice to sub-regulation (1), a recognised stock exchange may take such action as deemed fit, including suspension, against a registered broker dealer, in accordance with the applicable laws.
- (3) Without prejudice to sub-regulation (1), a recognised clearing corporation may take such action as deemed fit, including suspension, against a registered clearing member, in accordance with the applicable laws.
- (4) Without prejudice to sub-regulation (1), a recognised depository may take such action as deemed fit, including suspension, against a registered depository participant, in accordance with the applicable laws.

Power to call for information

69. The Authority may call for any information, documents or records from a capital market intermediary.

Power to remove difficulties

70. In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Authority shall have the power to issue directions through guidance notes or circulars.

Power to relax strict enforcement of the regulations

71. (1) The Authority may, in the interest of development and regulation of financial services in IFSC, relax the strict enforcement of any requirements of these regulations.
- (2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application, giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Authority along with a non-refundable fee of USD 1500.
- (3) The Authority shall process such application within thirty days of the date of receipt of the application complete in all respects and shall record reasons for acceptance or refusal of the relaxations sought by the applicant.

Power to specify procedures and issue clarifications

72. For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes etc. by way of circulars or guidelines or directions to capital market intermediaries.

Repeal and Savings

73. (1) On and from the commencement of these regulations, Chapter III of the Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015 shall not apply in an IFSC.
- (2) On and from the commencement of these regulations, Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008, Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, Securities and Exchange Board of India (Underwriters) Regulations, 1993, Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994, Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, Securities and Exchange Board of India (Investment Adviser) Regulations, 2013 and Securities and Exchange Board of India (Stock-Brokers) Regulations, 1992, Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 and Securities and Exchange Board of India (Certification of Associated Persons in the Securities Markets) Regulations, 2007 shall not apply in an IFSC.
- (3) The SEBI circular SEBI/HO/IMD/DF1/CIR/P/2020/169 dated September 9, 2020 relating to operating guidelines for portfolio managers in IFSC, SEBI circulars SEBI/HO/IMD /DF1/CIR/P/2020/04 dated January 9, 2020, SEBI/HO/IMD /DF1/CIR/P/2020/31 dated February 28, 2020 and SEBI/HO/IMD/DF1/CIR/P/2020/185 dated September 28, 2020 relating to operating guidelines for investment advisers in IFSC shall stand superseded.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1), (2) and (3), any action taken or purported to have been taken under the regulations, guidelines and circulars mentioned in sub-regulations (1), (2) and (3) before the commencement of these regulations shall be deemed to have been done or taken or commenced under the corresponding provisions of these regulations.
- (5) The circulars and guidelines issued by SEBI in relation to the regulations specifically covered under sub-regulation (2) and applicable to a capital market intermediary in an IFSC, shall be deemed to have been issued under these regulations unless and until they are superseded or modified by the Authority.

Schedule I**PART I****Application form**

S. No.	Parameters	Information by applicant
1.	Name of the applicant	
2.	Activity for which application is being made	

3.	<p>Address of the registered office</p> <p>Address for correspondence</p> <p>Telephone numbers</p> <p>Name, telephone number (mobile and direct line) and e-mail address of the contact person (Compliance officer / principal officer only)</p>	
4.	<p>Legal status of the applicant</p> <p>Law under which it is incorporated/ established/ registered</p> <p>If listed, names on stock exchanges on which it is listed</p>	
5.	<p>Date and place of incorporation or establishment</p> <p>Date of commencement of business</p> <p><i>Please enclose:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Certificate of incorporation,</i> ○ <i>Memorandum of association</i> ○ <i>articles of association</i> ○ <i>LLP deed/ partnership deed / trust deed</i> ○ <i>provide statutory provisions or any other constitutional documents under which incorporated or established</i> ○ <i>PAN / Tax Identification Number (if applicable)</i> 	
6.	<p>Whether present in IFSC in the form of branch or established/ incorporated in IFSC?</p> <p>If established in the form of branch, provide a declaration that the operations of the branch in IFSC would be ring fenced with the operations of outside IFSC.</p>	
7.	<p>Whether registered with IFSCA or any other regulatory authority in the financial sector?</p> <p>If yes, provide details of registration (registration number, registration date, validity date)</p> <p><i>Please enclose a copy of the certificate of registration</i></p>	
8.	<p>Brief summary of activities already carried out by the applicant in IFSC, or outside IFSC</p>	
9.	<p>Details such as name, designation, business address, telephone number, e-mail address of the principal officers and board of directors / partners / designated partners/ proprietor/ Trustee</p> <p>Please provide a copy of the PAN / Tax Identification Number</p> <p>(if applicable)</p>	

10.	List of major shareholders (5% or more voting rights) / partners	
11.	Financial Information (Balance Sheet and P&L Statement) <i>Please enclose financial information not older than six months as on the date of application</i>	
12.	Net worth as per the latest financial statements of the applicant <i>Please enclose net worth certificate by Chartered Accountant / Company Secretary (or their equivalent in Foreign Jurisdiction) not older than six months as on the date of application.</i>	
13.	Details of infrastructure in IFSC	
14.	Business Plan (for at least three years)	
15.	In respect of the applicant or its directors, key managerial personnel or controlling shareholders, whether#:	
(a)	The person has been convicted of any economic offence? If yes, provide details.	
(b)	Any recovery proceeding has been initiated against the person by a financial regulatory authority and is pending? If yes, provide details.	
(c)	Any order for winding up has been passed against the person for malfeasance? If yes, provide details.	
(d)	The person has been declared insolvent and not discharged? If yes, provide details.	
(e)	Any order, restraining, prohibiting or debarring the person from accessing or dealing in financial products or financial services, has been passed by any regulatory authority? If yes, provide details.	
(f)	Any other order has been passed by any regulatory authority against the person which has a bearing on the securities market? If yes, provide details.	
(g)	The person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction? If yes, provide details.	
(h)	The person has been categorized as wilful defaulter? If yes, provide details.	
(i)	The person has been declared as a fugitive economic offender? If yes, provide details.	

#A declaration regarding compliance with fit and proper requirements specified in these regulations shall be provided by the applicants.

Additional information for the various categories of intermediaries:

A. Broker dealer / Clearing Member

1. Name of Member with Code No.

2. Trade name of member
3. Name of the stock exchange/ clearing corporation of which the applicant is the member
4. Date of admission to exchange / clearing corporation

The application form for broker dealer / clearing member shall be accompanied by a recommendation of the stock exchange / clearing corporation.

B. Depository Participant

1. Name of Depository in which the applicant will be acting as participant.
2. Provide the following details regarding safekeeping and security systems and procedures:
 - i. risk control and operations manuals;
 - ii. give details of independent internal control mechanisms for monitoring evaluation and review of accounting, and reporting systems and procedures.
3. Please provide the following details regarding automatic data processing systems and record keeping:
 - i. details of hardware, software and communications systems, their capability, function and location;
 - ii. details of data storage and back up procedures and sites, their capability, function and location;
 - iii. details of disaster recovery systems and procedures.
4. Details of insurance cover to be taken up.
5. A declaration from the depository in which the applicant is to act as participant that:
 - i. the applicant is eligible to act as depository participant and meets with the eligibility criteria specified in these regulations and in the depository's bye-laws; and
 - ii. the applicant has adequate automatic data processing systems, adequate and competent staff, risk management systems, procedures and manuals, disaster recovery procedures, secure data storage and off site back up facilities, adequate communications links and insurance to fulfil its obligations as participant to the satisfaction of the depository.

The application form for depository participant shall be accompanied by a recommendation of the depository.

C. Investment bankers

1. Experience of key managerial personnel, particularly in investment banking activities.
2. Details of infrastructure shall include details regarding computing facilities, equity research and other relevant information relating to investment banking activities.
3. Experience in handling the activities relating to investment banking during the last 3 years, if applicable.
4. Details of Banking Unit.
5. Name and address of the auditors.

D. Portfolio Managers

1. Provide details regarding qualification, work experience and certification of the principal officers.
2. Provide a copy of the relevant certifications.
3. Details about business plan shall include information regarding:
 - a. Risk profiling procedure to be followed
 - b. Accounting system to be followed
 - c. Various research and database facilities
 - d. Activities proposed to be outsourced
4. Details of custodian
5. Details of Banking Unit

6. Details of auditor
7. A copy of the Disclosure Document
8. Additional Declarations:
 - a. Declaration regarding compliance with qualification and certification requirements specified in these regulations.
 - b. Declaration regarding type and frequency of reports sent/ proposed to be sent to clients.
 - c. Declaration regarding submission of periodic reports to IFSCA.
 - d. Declaration regarding maintenance of records for investment rationale.
 - e. Declaration regarding availability of Disclosure document on its website.

E. Investment Advisers

1. Number of principal officers and persons who propose to render investment advice under these regulations on behalf of the applicant.
2. Provide details regarding qualification, work experience and certification of the principal officers and persons associated with investment advice.
3. Provide a copy of the relevant certifications.
4. Details about business plan shall include information about:
 - a. Type of clients
 - b. Type of products/ securities on which investment advice is proposed to be rendered
 - c. Process for risk profiling of the client and for assessing suitability of advice.
5. Additional Declarations:
 - a. Declaration by the applicant that its principal officer and persons associated with investment advice shall comply with qualification and certification requirements specified in these regulations.
 - b. Declaration that the applicant shall not obtain any consideration by way of remuneration or compensation or any other form whatsoever, from any person other than the client being advised, in respect of the underlying products or securities for which advice is provided to the client.

F. Custodians

1. Please indicate services that are provided to clients or are proposed to be provided to clients as custodian.
2. Provide details regarding qualification and experience of key managerial personnel.
3. Details about past experience in custodian activities, particularly during the last 3 years.
4. Details about infrastructure shall include details regarding automatic data processing systems and record keeping, back up procedures and disaster recovery systems and procedures.
5. Provide details regarding safekeeping and security systems and procedures.

G. Credit Rating Agencies

1. Provide details regarding qualification and experience of key managerial personnel.
2. Details about infrastructure shall include details regarding computing facilities, facilities for research and database available with the applicant.
3. Details about past experience in credit rating activities and other activities, particularly during the last 3 years.

H. Debenture Trustees

1. Provide details regarding qualification and experience of key managerial personnel.
2. Details about past experience in debenture trustee related activities, particularly during the last 3 years.

I. Account Aggregators

1. Provide details infrastructure shall include details about the IT systems.
2. Details about past experience in account aggregation activities, particularly during the last 3 years.

Declaration-cum-undertaking [Applicable for all categories of applicants]

We hereby agree and declare that the information supplied in the application, including the attachment sheets, is complete and true to our knowledge.

We undertake to notify the International Financial Services Centres Authority (IFSCA) immediately of any material change in the information provided in the application.

We further undertake to comply with, and be bound by the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, and the regulations, circulars, guidelines and instructions thereunder as issued by IFSCA from time to time.

We further agree that as a condition of registration, we shall abide by such instructions or directives as may be issued by IFSCA from time to time.

For and on behalf of (Please insert name of the applicant)

Authorised signatory

(Name)(Signature)

Date:

Place:

Part II**Simplified Application Form**

S. No.	Parameters	Information by applicant
1.	Name of the applicant	
2.	Activity for which application is being made	
3.	Address of the registered office Address for correspondence Telephone numbers Name, telephone number (mobile and direct line) and e-mail address of the contact person (Compliance officer / principal officer only)	
4.	Legal status of the applicant Law under which it is incorporated/established/registered If listed, names on stock exchanges on which it is listed	
5.	Date and place of incorporation or establishment Date of commencement of business <i>Please enclose:</i> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>certificate of incorporation,</i> ○ <i>memorandum of association</i> ○ <i>articles of association</i> ○ <i>LLP deed/ partnership deed / trust deed</i> ○ <i>provide statutory provisions or any other constitutional documents under which incorporated or established</i> 	
6.	Whether present in IFSC in the form of branch or	

	established/ incorporated in IFSC? If established in the form of branch, provide a declaration that the operations of the branch in IFSC would be ring fenced with the operations of outside IFSC	
7.	Details such as name, designation, business address, telephone number, e-mail address of the principal officers and board of directors / partners / designated partners/ proprietor/ Trustee	
8.	Net worth as per the latest audited financial statements of the applicant <i>Please enclose net worth certificate (not older than six months as on the date of application) by a chartered accountant or its equivalent under the laws in force of the jurisdiction in which the applicant is registered or incorporated.</i>	
9.	Provide details of registration (registration number, registration date, validity date) with any other regulatory authority in the same category. <i>Please enclose a copy of the certificate of registration</i>	

#A declaration regarding compliance with fit and proper requirements specified in these regulations shall be provided by all the applicants.

Additionally, with respect to Portfolio Managers and Investment Advisers, declaration shall be provided regarding compliance with qualification and certification requirements specified in these regulations.

Declaration-cum-undertaking [Applicable for all categories of applicants]

We hereby agree and declare that the information supplied in the application, including the attachment sheets, is complete and true to our knowledge.

We undertake to notify the International Financial Services Centres Authority (IFSCA) immediately of any material change in the information provided in the application.

We further undertake to comply with, and be bound by the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, and the regulations, circulars, guidelines and instructions thereunder as issued by IFSCA from time to time.

We further agree that as a condition of registration, we shall abide by such instructions or directives as may be issued by IFSCA from time to time.

For and on behalf of (Please insert name of the applicant)

Authorised signatory

(Name)(Signature)

Date:

Place:

Schedule II**Net worth requirements**

S. No.	Category	Net worth	
		Entities incorporated in India (including IFSC)	Foreign Entities
1	Broker dealer	As specified by recognised stock exchange	As specified by recognised stock exchange, subject to minimum of USD 135,000
2	Clearing Member	As specified by recognised clearing corporation	As specified by recognised clearing corporation, subject to minimum of USD 1,350,000
	Self-clearing member	As specified by recognised clearing corporation	As specified by recognised clearing corporation, subject to minimum of USD 675,000
3	Depository Participant	As specified by depository	As specified by depository
4	Investment Banker	USD 750,000	USD 1.5 million
5	Portfolio Manager	USD 750,000	USD 1.5 million
6	Investment Adviser	USD 500,000	USD 1 million
7	Custodian	USD 7 million	As specified by the Authority from time to time
8	Credit Rating Agency	USD 3 million	USD 6 million
9	Debenture Trustee	USD 1.5 million	USD 3 million
10	Account aggregator	USD 500,000	USD 1 million

SCHEDULE III**CODE OF CONDUCT****Part A – Code of Conduct applicable to all capital market intermediaries**

A capital market intermediary:

1. Shall make all efforts to protect the interest of investors and render the best possible advice to the clients having regard to the needs of the clients, environment and its own professional skills.
2. Shall in the conduct of its business, observe high standards of integrity and fairness and fulfil its obligations in a prompt, ethical and professional manner.
3. Shall at all times exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.
4. Shall not indulge in manipulative, fraudulent or deceptive transactions or schemes or spread rumours with a view to distorting market equilibrium or making personal gains.
5. Shall not create false market either singly or in collusion with other intermediaries or the issuer in a manner that is detrimental to the interests of investors, or which leads to interference with the fair and smooth functioning of the market.
6. Shall endeavour to ensure that inquiries and grievances of the investors are dealt with in a timely and appropriate manner.
7. Shall not make any exaggerated statement either oral or in written form to the client about its capability, qualification and achievement in regard to services rendered to the client.

8. Shall maintain confidentiality with respect to the information about its clients, except where such disclosures are required to be made in compliance with any law for the time being in force.
9. Shall avoid conflict of interest and make adequate disclosure of its possible conflict of interest and duties and shall put in place a mechanism to resolve any conflict-of-interest situation.
10. Shall not indulge in any unfair competition, which is likely to harm the interests of other capital market intermediaries and investors.
11. Shall not discriminate amongst its clients, save and except on ethical and commercial considerations.
12. Shall ensure that any change in registration status/any penal action taken by Authority or any material change in financials which may adversely affect the interests of clients/investors is promptly informed to the clients.
13. Shall inform the Authority promptly about any action initiated against it in respect of material breach or non-compliance of any law, regulations and direction issued by the Authority or any other regulatory body.
14. Shall ensure that it and any of its employees shall not render, directly or indirectly any investment advice about any security in the publicly accessible media, unless a disclosure of its interest in the said security has been made while rendering such advice.
15. Shall ensure that it or any of its principal officers, directors, or employees having power of management shall not either on its own account or through their relatives or friends indulge in insider trading.
16. Shall have and employ effectively appropriate resources and procedures which are needed for the efficient performance of its business activities.
17. Shall have internal control procedures and financial and operational capabilities adequate enough to protect the clients and investors from financial loss arising from theft, fraud, omissions and professional misconduct.
18. Shall develop its own internal code of conduct for governing its internal operations and conduct of its employees.
19. Shall ensure that the compliance officer / Compliance Officer has adequate freedom and power for effective discharge of his duties.
20. Shall ensure that any person it employs or appoints is a fit and proper person and otherwise qualified to act in the capacity so employed or appointed.
21. Shall not be a party to or instrumental for:
 - (a) creation of false market;
 - (b) price rigging or manipulation;
 - (c) passing of unpublished price sensitive information to any other intermediary or any person, in respect of any securities which are listed and proposed to be listed in any stock exchange.
22. The senior management of a capital market intermediary shall bear primary responsibility for ensuring the maintenance of appropriate standards of conduct and adherence to proper procedures by the intermediary.
23. Shall not make untrue statement or suppress any material fact in any documents, reports or information furnished to the Authority.
24. Shall not make a recommendation to any client or investor who may be expected to rely thereon to acquire, dispose of or retain any securities unless he has reasonable grounds to believe that the recommendation is suitable.

Part B

In addition to compliance with the code of conduct as specified in Part A of this Schedule, the following capital market intermediaries shall abide by the following code of conduct:

A. A broker dealer or a clearing member:

1. Shall abide by all the provisions of the Act and the rules, regulations issued by the Government of India, the Authority and the recognised stock exchange / recognised clearing corporation from time to time as may be applicable.
2. Shall not involve itself in excessive speculative business in the market beyond reasonable levels not commensurate with its financial soundness.

3. Shall faithfully execute the orders for buying and selling of securities at the best available price and not refuse to deal with a small investor merely on the ground of the volume of business involved.
4. Shall promptly inform its client about the execution or non-execution of an order, and make prompt payment in respect of securities sold and arrange for prompt delivery of securities purchased by its clients.
5. Shall issue without delay to its client a contract note for all transactions in the form specified by the stock exchange.
6. Shall not encourage sales or purchases of securities with the sole object of generating brokerage or commission.
7. Shall not furnish false or misleading quotations or give any other false or misleading advice or information to the clients with a view of inducing them to do business in particular securities and enabling itself to earn brokerage or commission thereby.
8. Shall not deal or transact business knowingly, directly or indirectly or execute an order for a client who has failed to carry out its commitments in relation to securities with another broker dealer.
9. Shall not advertise its business publicly unless permitted by the stock exchange.
10. Shall not resort to unfair means of inducing clients from other broker dealer.

B. A depository participant:

1. Shall not increase charges/fees for the services rendered without proper advance notice to the beneficial owners.
2. Shall be prompt and diligent in opening of a beneficial owner account, dispatch of the dematerialisation request form, rematerialisation request form and execution of debit instruction slip and in all the other activities undertaken by it on behalf of the beneficial owners.
3. Shall take adequate and necessary steps to ensure that continuity in data and record keeping is maintained and that the data or records are not lost or destroyed. It shall also ensure that for electronic records and data, up-to-date back up is always available with it.
4. Shall ensure that it has satisfactory internal control procedures in place as well as adequate financial and operational capabilities which can be reasonably expected to take care of any losses arising due to theft, fraud and other dishonest acts, professional misconduct or omissions.

C. An investment banker:

1. Shall ensure that adequate disclosures are made to the investors in a timely manner in accordance with the applicable regulations and guidelines so as to enable them to make a balanced and informed decision.
2. Shall endeavour to ensure that the investors are provided with true and adequate information without making any misleading or exaggerated claims or any misrepresentation and are made aware of the attendant risks before taking any investment decision.
3. Shall ensure that copies of the prospectus, offer document, letter of offer or any other related document is made available to the investors at the time of issue or the offer.
4. Shall not discriminate amongst its clients, save and except on ethical and commercial considerations.
5. Shall maintain arm's-length relationship between its investment banking activity and any other activity.
6. Shall demarcate the responsibilities of the various intermediaries appointed by it clearly so as to avoid any conflict or confusion in their job description.

D. A banker to an issue:

1. Shall not allow blank application forms bearing brokers stamp to be kept at the bank premises or peddled anywhere near the entrance of the premises.
2. Shall not accept applications after office hours or after the date of closure of the issue or on bank holidays.
3. Shall not part with the issue proceeds until listing permission is granted by the stock exchange to the body corporate.
4. Shall not delay in issuing the final certificate pertaining to the collection figures to the lead manager and the body corporate.

E. A portfolio manager:

1. Shall ensure that the money received from the client for an investment purpose is deployed as soon as possible for that purpose and money due and payable to a client is paid forthwith.
2. Shall not execute any trade against the interest of the clients in its proprietary account.
3. Shall obtain in writing, interest of the client in various corporate bodies which enables such client to obtain unpublished price sensitive information of such corporate bodies.
4. Shall where necessary and in the interest of the client, take adequate steps for the transfer of the clients' securities and for claiming and receiving dividends, interest payments and other rights accruing to the client.
5. Shall take necessary action for conversion of securities and subscription for renunciation of rights in accordance with the clients' instruction.
6. Shall not use its status as any other registered intermediary to unduly influence the investment decision of the clients while rendering portfolio management services.
7. Shall not make any statement or indulge in any act, practice or unfair competition, which is likely to be harmful to the interests of other portfolio managers or is likely to place such other portfolio managers in a disadvantageous position in relation to the portfolio manager himself, while competing for or executing any assignment.
8. Shall endeavour to –
 - a. ensure that the investors are provided with true and adequate information without making any misleading or exaggerated claims and are made aware of attendant risks before any investment decision is taken by them;
 - b. render the best possible advice to the client having regard to the client's needs and the environment, and his own professional skills; and
 - c. ensure that all professional dealings are effected in a prompt, efficient and cost effective manner.

F. An investment adviser:

1. Shall seek from its clients, information about their financial situation, investment experience and investment objectives relevant to the services to be provided and maintain confidentiality of such information.
2. Shall make adequate disclosures of relevant material information while dealing with its clients.
3. Shall ensure that fees charged to the clients is fair and reasonable.

G. A custodian:

1. Shall be prompt in distributing dividends, interest or any such accruals of income received or collected by it on behalf of its clients on the securities held in custody.
2. Shall be continuously accountable for the movement of securities or financial products in and out of the custody account, deposit, and withdrawal of cash from the client's account and shall provide complete audit trail, whenever called for by the client or the Authority.
3. Shall establish and maintain adequate infrastructural facility to be able to discharge custodial services to the satisfaction of clients, and the operating procedures and systems of the custodian shall be well documented and backed by operations manuals.
4. Shall take precautions necessary to ensure that continuity in record keeping is not lost or destroyed and that sufficient back up of records is available.
5. Shall create and maintain the records of securities held in custody in such manner that the tracing of securities or obtaining duplicate title documents is facilitated, in the event of loss of original records for any reason.
6. Shall extend to other custodial entities, depositories and clearing organizations all such co-operation that is necessary for the conduct of business in the areas of inter custodial settlements, transfer of securities and transfer of funds.
7. Shall ensure that an arm's length relationship is maintained, both in terms of staff and systems, from its other businesses.

8. Shall exercise due diligence in safe-keeping and administration of the assets of its clients in its custody for which it is acting as custodian.

H. A credit rating agency:

1. Shall at all times exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment in order to achieve and maintain objectivity and independence in the rating process.
2. Shall maintain an arm's length relationship between its credit rating activity and other activities.
3. Shall have a reasonable and adequate basis for performing rating evaluations, with the support of appropriate and in-depth rating researches. It shall also maintain records to support its decisions.
4. Shall have in place a rating process that reflects consistent and international rating standards.
5. Shall disclose its rating methodology to clients, users and the public.
6. Shall not indulge in any unfair competition nor shall it wean away the clients of any other rating agency on assurance of higher rating.
7. Shall keep track of all important changes relating to the client companies and shall develop efficient and responsive systems to yield timely and accurate ratings. Further a credit rating agency shall also monitor closely all relevant factors that might affect the creditworthiness of the issuers.
8. Shall, wherever necessary, disclose to the clients, possible sources of conflict of duties and interests, which could impair its ability to make fair, objective and unbiased ratings. Further it shall ensure that no conflict of interest exists between any member of its rating committee participating in the rating analysis, and that of its client.
9. Shall ensure that there is no misuse of any privileged information including prior knowledge of rating decisions or changes.
10. Shall develop its own internal code of conduct for governing its internal operations and laying down its standards of appropriate conduct for its employees and officers in the carrying out of their duties within the credit rating agency and as a part of the industry.

I. A debenture trustee:

1. Shall ensure that adequate disclosures are made to the debenture holders, in a comprehensible and timely manner so as to enable them to make a balanced and informed decision.
2. Shall take all reasonable steps to establish the true and full identity of each of its clients, and of each client's financial situation and maintain record of the same.
3. Shall share information available with it regarding client companies, with credit rating agencies.
4. Shall make reasonable efforts to avoid misrepresentation and ensure that the information provided to the debenture holders is not misleading.

J. An account aggregator:

1. Shall ensure to maintain data privacy in accordance with the applicable laws.
2. Shall not part with any information that it may come to acquire from/ on behalf of a customer.
3. Shall ensure maintain arm's-length relationship between its account aggregation activity and any other activities.

INJETI SRINIVAS, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./346/2021-22]